14·31 hrs.

RESOLUTION *RE*: UPLIFT OF SCHEDULED CASTES—*contd*.

Mr. Deputy-Speaker: We shall now take up the Resolution moved by Shri K. L. Balmiki on the 26th February, 1965.

"This House is of opinion that even after three Five Year Plans there has been no specific progress in the work of social, economic and educational development of Scheduled Castes and, therefore, calls upon the Government to appoint a high powered Commission to evaluate the progress made so far in this regard and suggest measures for the welfare of the Scheduled Castes with special reference to the promotions and reservation of seats in Government services, allocation of land, etc."

Mr. Deputy-Speaker: Mr. Balmiki. He has taken eight minutes.

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, 26-2-65 को अनुसूचित जातियों के उत्थान के संबंध में सदन् के सम्मुख अपना संकल्प रखते हुये मैं कह रहा था कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं के पश्चात भी अभी तक हरिजनों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। यह बात कही जाती है कि हरिजन अब उस हालत में नहीं हैं कि जिस हालत में कभी थे। मै इससे इन्कार नहीं करता हूं कि कुछ उन में उठने की शक्ति नहीं आई है। शक्ति आई है लेकिन कुछ जाति विशेष कुछ परिवार विशेष या कुछ व्यक्ति विशेष की ही उन्नति देख कर केवल सारी हरिजन जातियों की उन्नति समझी जाय मैं इसे नहीं मानता हूं। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि आज भी यदि देखा जाये तो जैसा कि मेरे संकल्प का मतव्य यह है कि उनकी उन्नति सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से उल्लेखनीय नहीं हुई है। कुछ मेरे भाइयों को उस पर विशेष आश्चर्य होता है और वह इसलिये होता है कि जो बात सुनी जाती है वह सच नही होती है लेकिन जो बात देखी जाती है वह सच होती है। इन पन्द्रह सालों में सारे देश के अन्दर सारे राज्यों के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों और नगरों के अन्दर मैं स्वयं घूमा हूं और अपनी जानकारी की बिना पर यह कहने के लिये तैयार हूं कि आज भी इस अस्पृश्यता का जो सामाजिक बन्धन है वह ढीला नहीं हुआ है। आज भी उन के रास्ते में सामाजिक बाधायें हैं। धार्मिक कट्टरता है। विचारों का कट्टरपन आज भी रास्ते का रोड़ा है। यह बात आप जानते हैं और सदन भी जानता है कि लोकतंत्रीय सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के पश्चात और पंचायती राज्य के लागू होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे अपने भाईयों की बाधायें बढ़ी हैं, घटी नहीं हैं। आज भी उन पर जो कत्ल, आगजनी, सामाजिक बहिष्कार, ग्रामों से निकाला जाना, जबरन मारपीट, बलात्कार और इस प्रकार की घटनायें घटित होती हैं जोकि बहुत सी मैं आपके सामने कह सकता हूं। अब उन में हमें दुःख ही होता है। जो भाई यह कहते है कि इनके रास्ते में अब इतनी दिक्कत नही है और अस्पृश्यता के बन्धन भी ढीले हो गए हैं तो ऐसी बात नहीं है।

आप यह समझिये कि यह कोई पुरानी बात नहीं है डेढ़ साल की बात है कि दक्षिण में औरंगाबाद के पास में जो 10-12 मील की दूरी पर ग्राम है वहां जिस प्रकार से अमानुषिक ढंग से हरिजन स्त्रियों को नग्न किया गया और इस प्रकार से जो ऐसी और घटनायें घटित होती हैं उन से हरिजनों के मस्तिष्क में एक रोष उत्पन्न होता है और इस प्रकार आप यह देखें कि अस्पृश्यता के ही

कारण केवल ऐसी घटनायें होती हैं । आज इतने दिन के बाद भी क्या समाज में उन को सम्मानप्रद स्थान प्राप्त हो गया है ? क्या वह किसी भी जगह सम्मान के साथ खड़े हो सकते हैं ? कुछ थोड़े से भाई ऐसा कह सकते हैं लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं होता है ।

जहां तक सन् 1955 में पास किये गये अस्पृश्यता निवारण अधिनियम का सवाल है वह एक डैड लैटर बन कर रह गया है । उसके अधीन मामले दर्ज नहीं किये जाते हैं । पुलिस ध्यान नहीं देती है जबकि वह कोगनेजेबुल ओफैंस है लेकिन फिर भी कोई प्रगति नहीं की है । हमारे सामने इस तरह के केस नहीं आये हैं और मंत्राणी जी भी यहां बैठी हुई हैं वे भी इसे जानती हैं कि इस अधिनियम का कड़ाई के साथ पालन नहीं होता है ।

जहां तक आर्थिक दिक्कतों का संबंध है आज भी देश में जैसे कि हमारे संविधान में हमने कहा है कि आर्थिक विषमतायें और सामाजिक विषमतायें दूर की जायेंगी इस दिशा के अन्दर यदि आप देखें तो हमारे हरिजन भाई हमारे अपने भाई जो विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वे ही सामाजिक विषमताओं और आर्थिक विषमताओं के सब से बड़े शिकार हैं । आज भी देखिये कि इस प्रकार से जो बेगार आदि की प्रथा है जबरदस्ती काम लेने की बात है उस तरह की घटनायें भी सामने आती हैं । इस तरह में बाधायें अब भी मौजूद हैं । इस तरह से आप देखें कि जो रास्ते में एक तरह की दिक्कत है वह अभी तक ढीली नहीं हुई है और विशेष कर मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की ओर से ध्यान आकर्षित किया जाता है राज्य सरकारों का लेकिन राज्य सरकारों के मस्तिष्क पर किसी भी प्रकार का एक प्रभाव होता नजर नहीं आता है और वह उधर ध्यान नहीं देती हैं । विशेष कर यह कहा जाता है कि बहुत सी रिपोर्टस आती हैं । हमारे शैडयूल्ड कास्टस कमिश्नर ने भी रिपोर्ट दी है और पीछे जो बैकवर्ड क्लासेज कमीशन या इस तरह की रिपोर्ट हैं उनके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जाता है । मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि इधर प्रयत्न किया गया है और विशेष कर कुछ इस तरीके का प्रयत्न प्लानिंग कमिशन के जरिये भी किया गया है । मेरे हाथ में रिपोर्ट आफ दी स्पेशल वर्किंग ग्रुप और कोआपरेशन फौर बैकवर्ड क्लासेज--वालयूम 1 है उस की भी सिफारिशें राज्य सरकारों को भेजी गई हैं । मेरे हाथ में एक दूसरी रिपोर्ट आफ़ दी सेमीनार आन एम्प्लायमेंट आफ़ शैडयल्ड कास्ट्स ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है । मेरे पास मलकानी कमेटी की रिपोर्ट है और यह रेणुका रे कमेटी की रिपोर्ट है । उन सब की सिफारिशें बराबर भेजी गई हैं और उनके सम्बन्ध में स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू जी ने भी राज्यों के मुख्य मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया था लेकिन उधर कोई भी प्रभाव नजर नहीं आता है । मैं समझता हूं कि जब तक भारत सरकार इन पर अमल के लिए एक कड़ा कदम नहीं उठाती है और एक विशेष कार्यवाही नहीं करती है मेरी समझ में उधर कोई बहुत उन्नति होने वाली नहीं है ।

ढेवर कमिशन हमारे आदिम जाति के भाइयों को उठाने के लिए मुकर्रर हुआ है । हमारे संविधान के अनुच्छेद 339 के अधीन उसने सिफारिशें दी हैं । यही नहीं संविधान के अनुच्छद 340 के अधीन जो बैक्वर्ड क्लासेज कमीशन कायम हुआ उसकी भी सिफारिशें राज्य सरकारों के सामने भेज दी गई हैं लेकिन उधर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है । इस स्थिति में एक ऐसे कमीशन या आयोग को नियुक्त करना आवश्यक है जो केवल अनुसूचित जातियों शिड्यूल्ड कास्ट्स के संबंध में पूरी तरह से जांच कर सके कि किस हद तक अस्पृश्यता निवारण हुआ है किस हद तक उनके लिये काम हुए हैं उनके कल्याण

[श्री बालम की]

के लिए विकास सम्बन्धी योजनाओं में कितना अनुदान रखा गया है और उसको किस प्रकार व्यय किया गया है ।

मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है जिसकी बिना पर मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक योजनाओं में सभी पिछड़ी जातियों के लिए जिन में अनुसूचित जातियां और आदिम जातियां भी हैं कितना धन रखा गया था और उस में से कितना ख़र्च हुआ है । पहली पंच-वर्षीय योजना में 39 करोड़ रुपया रखा गया था जिसमें से केवल 30 करोड़ रुपया ख़र्च हुआ दूसरी पंच-वर्षीय योजना में 90 करोड़ रुपया रखा गया था जिसमें से 79 करोड़ रुपया ख़र्च हुआ तीसरी पंच वर्षीय योजना में 114 करोड़ रुपया रखा गया था जिसमें से 1961 से ले कर 1964 तक केवल 50 करोड़ रुपया ख़र्च हुआ है ।

आप देखिए कि इतना धन अब भी बेकार पड़ा हुआ है । विकास क्षेत्रों में और सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए जो धन भेजा गया है बी० डी० ओ० तथा दूसरे अधिकारी या ब्लाक डेवेलपमेंट कमेटी उसकी तरफ़ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और वह पैसा बिल्कुल व्यय नहीं होता है । जब तक ऊपर से बराबर इसकी तरफ़ ध्यान नहीं दिया जाता है तब तक इस काम में कोई प्रगति नहीं होती है । मैं समझता हूं कि आर्थिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से अनुसूचित जातियों में उतनी उन्नति नहीं हुई है जितनी कि होनी चाहिए ।

हमारा सामाजिक व आर्थिक स्तर अब भी गिरा हुआ है । धार्मिकता के कारण अब भी हम पर संकट आते हैं और अब भी मन्दिरों के द्वार हमारे लिए बन्द हैं । अभी हृदय भी बन्द है । यह ठीक है कि कुछ मन्दिर खुले हैं लेकिन इस दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है । हमारे हरिजन भाई किसी तरह से देश की एकता को खंडित नहीं करना चाहते हैं लेकिन हम हृदय से चाहते हैं कि हमारे साथ सामाजिक न्याय हो और हमको सामाजिक सुरक्षा मिले । हमारे संविधान में सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा की जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार हम को सामाजिक न्याय और सुरक्षा नहीं मिलती है ।

यह भी देखना चाहिए कि नगरों में और विशेषकर ग्रामों में आर्थिक दृष्टि से अनुसूचित जातियों की कितनी उन्नति हुई है । सफ़ाई-पेशा भाइयों के मुहल्ले, डोम टोलियों और दूसरे ग़रीब हरिजनों के मुहल्लों तथा ग्रामों की दशा अत्यन्त शोचनीय है, भयंकर है और वहां किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं हुई है । मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने उनको आर्थिक दृष्टि से पूरे हक देने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं । यद्यपि उन के जीवन-स्तर को ऊंचा करने के लिए प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन उन का प्रभाव नहीं हुआ है ।

अनुसूचित जातियों के लिए जो धन राशि रखी गई है, वह भी ख़र्च नहीं की गई है । जहां तक जेनेरल सेक्टर से, जेनेरल पूल से, स्वास्थ्य, छोटी सिंचाई, खेती या दूसरी विकास की स्कीमों में उन पर कितना ख़र्च किया जाता है, ये आंकड़े या ब्योरा नहीं रखा जाता है । विशेषकर नगरों या ग्रामों में आवास या जमीन देने की समस्या को हल करने के लिए जेनेरल पूल से कितना पैसा दिया गया है, सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं और न ही वह दे सकती है । मैं समझता हूं कि जब तक सरकार पूरे तरीके से अनुसूचित जातियों के जीवन-स्तर को, उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा करने के लिए प्रयत्न न करेगी, तब तक कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा । आज तीसरी पंचवर्षीय योजना अपने अन्तिम चरणों पर है और चौथी पंच-वर्षीय योजना प्रारम्भ होने वाली है, किन्तु मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि इस दिशा

में कोई विशेष उन्नति नहीं हुई है । वे विकास की परिधि से अभी बहुत दूर हैं ।

जहां तक नौकरियों का सवाल है, उन में अब भी संकट है । किसी भी राज्य या केन्द्र से जिला स्तर से लेकर भारत सरकार के विभागों तक कहीं भी हमारी नौकरियों का कोटा पूरा नहीं किया गया है और न पूरा किये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । यद्यपि हमारे लोग काफ़ी पढ लिख गए हैं, लेकिन हजारों हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट, बी० ए०, एम० ए० और विद्या के डाक्टर भी बेकार घूमते हैं । उनको नौकरियों के साधन उपलब्ध करने के लिए सरकार ने एम्पलायमेंट ओरियंटिड स्कीम्ज़ चलाई हैं, लेकिन इस में प्रगति न के बराबर है और हमारे लोगों को नौकरी के पूरे अवसर नहीं मिलते हैं ।

जहां तक पदोन्नति का सवाल है, हमारे लोगों के साथ अन्याय किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन की स्पिरिट का भी पालन नहीं होता है । होम मिनिस्ट्री से जो जी० ओ० गए हैं, विभिन्न राज्यों में, जिला स्तर पर, विकास क्षेत्रों में और विशेषकर हमारे यहां केन्द्रीय विभागों में भी उनका पालन नहीं होता है । प्रोमोशन के सम्बन्ध में जो अन्याय होता है उस पर विचार करने की आवश्यकता है ।

सरकार की तरफ़ से कहा जाता कि अस्पृश्यता मिट गई है, लेकिन वह घृणा अब भी मौजूद है और वह पढ़े लिखे लोगों के दिलो-दिमाग़ में सबसे ज्यादा बैठी हुई है । हमारे लोगों के अधिकारियों द्वारा कांफ़िडेंशल रिकार्ड किस तरह बर्बाद किये जाते हैं, ख़राब किये जाते हैं, इन सब बातों की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उस की ओर भी ध्यान दिया जाये ।

चूंकि दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलना है, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं । अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और शैक्षिक दृष्टि से अब भी अवनति है और उसकी जांच करने के लिए एक कमीशन कायम किया जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं ।

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

> "This House is of opinion that even after three Five Year Plan there has been no specific progress in the work of social, economic and educational development of Scheduled Castes and, therefore, calls upon the Government to appoint a high powered commission to evaluate the progress made so far in this regard and suggest measures for the welfare of the Scheduled Castes with special reference to the promotions and reservation of seats in Government services, allocation of land, etc."

There are two amendments that have been tabled.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): I beg to move:

That in the resolution,—

after "development of Scheduled Castes" insert—

> "except one or two such Castes as have been benefited by every kind of facility provided by Government for their political and economic uplift,". (2)

Mr. Deputy-Speaker: The original motion and the amendment are now before the House. There is a large number of hon. Members who have expressed their desire to participate in this debate. We have only two hours out of which half-an-hour has already been taken by the mover. So, hon. Members may take each five minutes.

श्री गणपति राम (मछली शहर) : मेरा सुझाव है कि चूंकि इस प्रस्ताव पर बोलने वाले सदस्यों की संख्या ज्यादा है, इसलिए इसका टाइम कम से कम दो घंटे और बढ़ा दिया जाये । अगर सदन यह चाहता है, तो उसका निर्णय क्यों न माना जाये ?

श्री प० ला० बारूपाल (गंगानगर) : मेरा सुझाव है कि बोलने वाले ज्यादा नहीं हैं, समस्या ज्यादा है, इसलिए इस पर पूरे दिन बहस होनी चाहिए ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : इस पर बोलने के लिए होम मिनिस्ट्री की डिमांड्ज और बैकवर्ड क्लासिज कमीशन की रिपोर्ट आदि कई अवसरों पर मौका मिलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को इसके लिए बहुत टाइम मिलेगा । होम मिनिस्ट्री, एजूकेशन मिनिस्ट्री की डिमांड्ज और जेनेरल बजट पर माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर सकते हैं ।

Dr. Ranen Sen (Calcutta East): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am in agreement with the basic idea of the resolution. After 18 years of independence it is a very sorry spectacle that the lot of the Scheduled Caste people has not improved to any appreciable extent.

What are actually the problems of the Scheduled Castes? As we understand them, the main problem is that the Scheduled Caste people suffer from social and economic disabilities. Both the social and economic factors today bear upon the Scheduled Castes people. Firstly, let us consider what are the professions of the majority of Scheduled Castes. In the cities, they are either sweepers or cobblers, men who are working in the lowest rung of factories or people who are self-employed but doing some jobs which are both socially and economically considered to be very backward. In the villages most of the landless labourers, at least quite a large percentage of them, come from the Scheduled Castes. Therefore, in spite of the best wishes of the upper class people and their professions, the economic and social disparities between these people and the upper class people could not be removed from the soil of India. It is a stigma on the fair image of India. It is only when we tackle this problem from this angle that we can say that we in India have no social or economic disparities between various sections of the community.

Now in cities like Bombay and Calcutta there are separate colonies for people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Due to the rapid growth of industrialisation these distinctions are going away. Yet, inside the factories most of the people belonging to Scheduled Castes are illiterate unskilled workers and they are the lowest paid. So, we have to consider the question of raising the salaries or wages of people who are in the lowest rung of the ladder. Therefore this is a bigger economic problem and unless the Government tries to solve it with courage, mere passing of resolutions or setting up of commissions would not help.

Secondly, in the villages the object of the peasant movement has been the distribution of surplus land among the landless peasants. That has also been the demand of a large section of the Congressmen during the early days of the freedom struggle. Even now all those pious wishes remain only on paper. The land reforms are half-hearted and halting. Sometimes the land reforms are exploded by subterfuge from below. Therefore, the people belonging to the Scheduled Castes continue to remain in a pitiable condition.

When we discuss this resolution I say that though the setting up of the commission is necessary, there should be a clear reference as to what the commission should do and

how the commission should proceed with its work, and after the report of the commission is received what government is going to do with it. Because, in the matter of land tenure and land reforms it is only the Government which is in a position to make some radical changes and improvements.

Then, in the factories the unskilled labour belonging to the Scheduled Caste should be given proper education and training. That should be the responsibility of government. In Europe and other countries with Industrialisation illiteracy has been banished. In our country also, now that industrialisation is in progress, illiteracy should be removed. Practical training should be given in technical trades to people belonging to Scheduled Castes so that they could come up Government should also take measures for improving the housing conditions of these people in cities and towns. While building houses, they should ensure there is no separation of these people from the rest of the people. They should live side by side.

With these words, I support the Resolution.

श्री गुलशन (भटिंडा) : उपाध्यक्ष महोदय मैं श्री वाल्मीकी जी के उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जो उन्होंने इस सदन में पेश किया है । अनुसूचित जातियों के बारे में विधान सभाओं में पार्लियामेंट में और बहुत बड़ी बड़ी कान्फ्रेंसिस में चर्चा चलती है और बड़ी बड़ी घोषणायें भी होती हैं कि हम इन लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ करेंगे । लेकिन जो इसका नतीजा होता है वह निल होता है । मिनिस्टर लोग भी कहते हैं कि हम शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं । लेकिन मुसीबत यह है कि बहुत बड़ी संख्या में रहने वाले इस देश में जो शैडयूल्ड कास्ट के लोग हैं वे छूआछूत के शिकार होते रहे हैं और अब भी हो रहे हैं । संविधान को लागू किये हुए कितने ही साल हो गए हैं और हमको आजाद हुए सतरह साल से भी ऊपर हो गये हैं लेकिन अभी तक भी छूआछूत मिटी नहीं है गरीबी मिटी नहीं है बेरोजगारी मिटी नहीं है और हम लोग ही हैं जोकि इनका सबसे ज्यादा शिकार होते हैं । यह जो छूआछूत है यह हमारे देश के माथे पर एक कलंक है सरकार के माथे पर भी एक कलंक है ।

भूमि देने के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है । गन्दी बस्तियों को अच्छा बनाने के लिए भी सरकार ने कुछ प्रस्ताव पास किये हैं । मालूम नहीं वे कहां हैं । इन लोगों की बस्तियो में जाकर जब हम देखते हैं तो हमें शर्म आती है ।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । बाल्मीकी जी ने कहा है कि एक उच्च अधिकार प्राप्त कमीशन नियुक्त किया जाए । मैं समझता हूं कि वह यह चाहते हैं कि इनकी सियासी सामाजिक आर्थिक हालत का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सके । कमीशन नियुक्त करने से पहले हमें एक बात पर विचार करना होगा । क्या वह सत्तारूढ़ दल का ही कमीशन हो या विरोधी दल वाले भी उसमें हों ? मैं समझता हूं कि शैडयूल्ड कास्ट के जो यहां सदस्य हैं उनमें से सदस्यों को लेकर एक कमीशन नियुक्त किया जाए ।

यह भी देखना होगा कि जो लोग आर्थिक तौर पर सियासी तौर पर एजुकेशनल तौर पर इन श्रेणियों में से आगे निकल गये हैं उनको निकाल कर बैकवर्ड क्लासिस में दाखिल कर दिया जाए या न किया जाए । मैं कहूंगा कि उनको बैकवर्ड क्लासिस में दाखिल कर दिया जाना चाहिये ताकि जो दूसरे लोग बहुत पीछे रह गये हैं बहुत पिछड़ गए हैं उनकी हालत सुधारने में सरकार को मुश्किल पेश न आए ।

नौकरियों के बारे में भी यहां कहा गया है । सरकार कहती है कि इन जातियों के लोगों के लिए नौकरियां सुरक्षित कर दी गई हैं ।

[श्री गुलशन]

लेकिन इनकी सर्विसिस में क्या हालत है इसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं । क्योंकि समय की कमी है इस वास्ते बहुत ज्यादा मिसालें तो मैं नहीं दे सकूंगा लेकिन एक विभाग पोस्टस एंड टेलीग्राफ विभाग की मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं । जो फिगर्ज़ मैं दे रहा हूं वे सरकार द्वारा हमें दिये गये हैं। एक क्वेश्चन के जवाब में सरकार ने 1-1-1963 को हमें बताया था कि इस विभाग में 540 क्लास 1 की पोस्टस थी उस वक्त जिन में से 67 इनके लिए रिज़र्व थीं और 6 पोस्टस ही भरी जा सकी थीं और बाकी 61 नहीं भरी जा सकी थी। 61 पोस्टस पर शैडयूल्ड कास्टस का कोई नहीं लिया गया । क्लास 2 की 848 पोस्टस थीं जिन में से 106 रिजर्व थीं और उनमें सिर्फ एक ही इन जातियों में से लिया जा सका था और 105 खाली थीं । क्लास 2 नान गजेटिड तीन पोस्टस थीं और कोई भी शैडयूल्ड कास्ट का नहीं लिया गया । क्लास 3 की 1,27,941 पोस्टस में से 15,992 रिजर्व पोस्टस थी जिनमें से 11,295 लिये गये और 4,697 नहीं लिये गये । इसी तरह से क्लास 4 की 36,622 पोस्टस थीं जिनमें 4,577 रिजर्व थीं लेकिन 5,076 इनके द्वारा भरी गई जिसका मतलब यह हुआ कि 499 पोस्टस ज्यादा इनको दी गईं । मेहतरों का भी यहां जिक्र आया है । यह जो क्लास हैं इसमें भी इनको अपने कोटे से ज्यादा स्थान मिले हैं । 729 पोस्टस थीं जिनमें 91 इनके लिए रिजर्व थीं और 644 इनको मिलीं । इस तरह से 553 जगहें इनको ज्यादा मिलीं । इसी तरह से जो टेम्पोरेरी पोस्टें हैं वे भी कुल 11 हैं । ये फर्स्ट क्लास की हैं । इनमें एक रिजर्व है और इनमें एक भी शैडयूल्ड कास्ट को नहीं मिली । क्लास 2 की 40 पोस्टें हैं इनमें पांच रिजर्व हैं तीन की पोस्टिंग हुई पर इनमें से एक भी शैडयूल्ड कास्ट वालों को नहीं मिली । इसी तरह से क्लास 2 की नान गजेटेड पोस्टें हैं । ये दो हैं । इनमें भी कोई शैडयूल्ड कास्ट वालों को नहीं मिली । क्लास 3 की 55,280 पोस्टों की कुल गिनती है । रिजर्व 6,910 हैं पोस्टिंग 6,806 की हुई और इसमें 1,400 की कमी रही है । इसी तरह से क्लास 4 है । इसमें कुल पोस्टें 18,048 हैं जिसमें 2,255 रजिर्व हैं 3,606 की पोस्टिंग हुई हैं और इसमें 351 की बढ़ोतरी हुई है चूंकि यह छोटी पोस्टें हैं । क्लास 4 की और 496 पोस्टें हैं इनमें 62 रिजर्व हैं और 453 पोस्टिंग हुए हैं और इन में 391 की बढ़ोतरी हुई है क्योंकि ये छोटी पोस्टें हैं । जो भी गजटेड पोस्टें हैं उनमें शैडयूल्ड कास्ट की रिजरवेशन किसी में पूरी नहीं होती ।

15 hrs.

इसलिए मैं चाहता हूं कि उच्च अधिकारों वाला कमीशन बने और उसमें सिर्फ शैडयूल्ड कास्ट के ही सदस्य रहें । और वे उन सारे कामों की जांच करें जो कि शैडयूल्ड कास्ट की उन्नति के लिए अब तक किए गए हैं ।

श्री बालकृष्ण वासनिक (गोंडिया) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री बाल्मीकी जी ने जो यह प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं। उन्होंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत करके इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव के कारण इस समस्या की ओर न केवल इस सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है बल्कि सारे देश का ध्यान इस की ओर आकृष्ट हो गया है ।

आज जो यहां पर चर्चा हो रही है वह चर्चा साफ साफ रूप से यह बताती है कि जो लोग इन वर्गों के उत्थान और उन्नति के कार्य में लगे हुए हैं, वे कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। जितनी बातें जबान से कही जाती हैं उतनी सारी

बातें यदि अमल में लायी जातीं तो मेरा खयाल है कि श्री बाल्मीकी जी को यह प्रस्ताव लाने का प्रसंग ही पैदा न होता।

आप जानते हैं कि गत कई वर्षों से शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए जो कमिश्नर नियुक्त किए गये थे वे हर वर्ष अपनी एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, और उस रिपोर्ट में यह ब्योरा होता है कि उस वर्ष कितनी प्रगति हुई है, क्या बातें हुई हैं और कौन सी बातें नहीं हुई हैं। उस रिपोर्ट में इन वर्गों की हालत को देखने के बाद वह कुछ सिफारिश भी करते हैं और अगर आप शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की आज तक की रिपोर्टों को देखें तो आप महसूस करेंगे कि उन्होंने ढाई हजार सिफारिशें सरकार को की हैं, लेकिन इतनी सिफारिशों के बावजूद आप देखेंगे कि इन वर्षों में शायद ही किसी सिफारिश पर सरकार ने अमल किया हो। मेरी समझ में नहीं आता कि साल भर काम करने के बाद जो वह कमिश्नर सिफारिश करते हैं उन पर क्यों अमल नहीं किया जाता, क्यों उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। जब यह हाल है तो क्या फायदा है इस तरह का दफ्तर रखने से और उस पर फालतू रुपया खर्च करने से। मैं तो यह कहूंगा कि यह कमिश्नर साहब का दफ्तर रख कर इस पर रुपया खर्च करने से तो यह ज्यादा अच्छा होता अगर यह रुपया इन वर्गों की उन्नति और उत्थान के लिए खर्च किया जाता। इसी लिये जो एक आयोग की मांग की गई है, मैं उसका विरोध करता हूं। मुझे विश्वास है कि चाहे इस प्रकार के दस आयोग नियुक्त कर दिये जाएं तो भी उनकी सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा और न उन पर अमल होगा। मैं नहीं समझता कि केवल नाम मात्र के लिए एक आयोग का निर्माण कर देने से कोई लाभ होगा।

समाज में जो यह मनोवृत्ति फैली हुई है उसका कुछ चित्र हम सरकारी काम-काज में भी देखते हैं। इस मनोवृत्ति के दूर रहने की आवश्यकता है।

जहां तक अस्पृश्यता का सवाल है मैं यह मानता हूं कि जो लोग अस्पृश्यता कहे जाते हैं उन में अस्पृश्यता नहीं होती, अस्पृश्यता होती है उन लोगों के दिमाग में जो उनको अस्पृश्य कहते हैं। और इसलिये जब तक लोगों के दिमाग मे परिवर्तन नहीं होगा यह प्रश्न चलता रहेगा और हल नहीं होगा।

जब पिछले दिनों रेलवे बजट पर बहस हो रही थी तो एक माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को उठाया भी था। आप जानते हैं कि रेलवे मंत्रालय में नौकरियों को पाने के लिए और प्रोमोशन के लिए हरिजनों के लिए कुछ नियम बनाए गये थे। जहां तक प्रोमोशन का सवाल है, वह सवाल सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जो कुछ बात रेलवे बोर्ड ने की थीं प्रोमोशन की दृष्टि से वे ठीक थीं। इनका संविधान से कोई विरोध नहीं है। परन्तु इसके बावजूद जसे ही एक मंत्री महोदय रेलवे मंत्रालय से चले गये और दूसरे आ गये वैसे ही नौकरियों में भरती करने की दृष्टि से और प्रोमोशन की दृष्टि से सरकार के नियम ही बदल गये। मैं यह समझ सकता हूं कि सरकार बदल जाये तो मंत्रालय की नीति भी बदल जाये लेकिन वही सरकार बनी रहने पर भी जब एक मंत्री बदल जाता है तो सरकार की नीति भी बदल जाती है, मंत्रालय के नियम बदल जाते हैं इस बात को मैं नहीं समझ पाता हूं।

मुझे बहुत सी बातें कहनी थीं, लेकिन सारी बातें यहां कहने से लाभ नहीं है। मैं जानता हूं कि जब हर साल कमिश्नर

[श्री बालकृष्ण वासनिक]

साहब की रिपोर्ट यहां पेश होती है और गृह-मंत्रालय की रिपोर्टों पर चर्चा होती है उस समय बहुत सी बातें कही जाती हैं, और दलीलें दी जाती हैं, और बहुत बड़ी आलोचना भी की जाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि वे सारी बातें बहरे कानों पर गिरती हैं। उनका सरकार पर कोई असर नहीं होता। इसलिए मैं यह समझता हूं कि इन वर्गों की उन्नति के लिए बहुत कुछ बातें करना बेकार है। बाल्मीकी जी ने जो आयोग बनाने का सुझाव दिया है, उस आयोग से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक सचमुच सरकार सच्चे रूप से इन वर्गों के उत्थान का प्रयत्न न करे।

श्री मोहन नायक (भंजनगर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या, श्री बाल्मीकी जो प्रस्ताव लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। हरिजनों के उद्धार के बारे में बहुत सी रिपोर्टें आई हैं, मगर उनको अमल में लाने में इस लिए भी दिक्कत होती है कि प्रान्तीय सरकारें उनका विरोध करती हैं और इसलिये केन्द्रीय सरकार कोई अच्छा दृढ़ रास्ता नहीं पकड़ती है। तृतीय पंच-वर्षीय योजना खत्म करने वाली है, मगर प्रथम पंच-वर्षीय योजना में जो रुपया मन्जूर किया गया था, वह अभी तक खर्च नहीं हुआ है। यह मालूम होता है कि स्वाधीनता से पहले इस काम के प्रति हमारे दिलों में जो भावना थी, वह भावना अब नहीं रही है। स्वाधीनता से पहले, जिस वक्त महत्मा गांधी थे, यह काम धार्मिक दृष्टिकोण से देखा और किया जाता था, लेकिन अब उस दृष्टिकोण का डाइवर्शन राजनीतिक दृष्टिकोण में हो गया है।

आज जब हम देखते हैं कि कितने ही हरिजन भाई और बहनें केन्द्रीय सरकार और प्रदेश सरकारों में मंत्री हो गये हैं या पार्लियामेंट और एसेम्लीज के सदस्य हो गए हैं तो हम समझते हैं कि हरिजनों के उद्धार का काम हो गया। मुझे यह कहने के लिए क्षमा किया जाये कि जो भाई मैम्बर भी बन जाते हैं वे यह सोचते हैं कि यह काम ऐसे करना चाहिये कि हम को अगले चुनाव में कोई दिक्कत न हो क्योंकि अगर हम सच्ची बात कहेंगे तो हमारी पार्टी हम पर नाराज होगी और हम को टिकट नहीं मिलेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह काम करने के लिए हम सरकार पर जितना दबाव डालते हैं हमें अपने आप पर भी उतना ही दबाव डालना चाहिये और अपने दिलों को पूछना चाहिये कि हम क्या कर रहे हैं।

जहां तक मेहतरों का सम्बन्ध है वह एक ऐसा सैक्शन है जिस से हरिजन लोग भी घृणा करते। मैंने देखा है कि गांवों और शहरों में हरिजन लोग भी उन को छूते नहीं हैं। आखिर हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों का जो कि पार्लियामेंट या एसेम्लीज के मेम्बर हो जाते हैं पहला काम यह होना चाहिये कि हम अपने अन्दर की छूआछूत को मिटा दें।

सरकार हरिजनों के उद्धार के लिए रुपया खर्च करती है लेकिन वह रुपया अच्छी तरह से खर्च नहीं किया जाता है। मैं आप को एक दो उदाहरण देना चाहता हूं।

उड़ीसा में बरहमपुर म्यूनिसिपैलिटी में एक मेहतर कालोनी बनाने के लिए प्रथम पंच वर्षीय योजना में डेढ़ लाख रुपया मन्जूर हुआ। उस कालोनी में सौ मकान बनाए गये। मेहतर लोगों ने कहा कि चूंकि ये मकान छोटे हैं इसलिये हम उन में नहीं जायेंगे हस्बेंड-वाइफ़ के

लिए हम को दो दो मकान दे दिये जायें वर्ना हम उन में नहीं जायेंगे। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि वह एक फ़ैमिली को एक एक मकान देगी। इस का परिणाम यह हुआ कि मेहतर लोग उन मकानों में नहीं गये और वे मकान किराये पर चढ़ा दिये गये और वह किराया म्यूनिसिपैलिटी को मिल रहा है। मैंने हिसाब लगाया है कि उन मकानों से दो लाख रुपये किराया मिला है। केन्द्रीय सरकार से जो रुपया मेहतरों के मकानों के लिए दिया गया था मेहतरों को उस से कोई लाभ नहीं हुआ। दो तीन बार यह बात सरकार के सामने लाई गई लेकिन इस की तरफ़ ध्यान नहीं दिया गया है। केन्द्रीय सरकार सोचती है कि हमने रुपया दे दिया, रिपोर्ट आ गई है कि मकान बन गए हैं, मगर उन मकानों का ठीक तरह से इस्तेमाल हो रहा या है या नहीं, यह कोई देखता नहीं है।

मैं अभी पांच दिन पहले उड़ीसा एक कांफ्रेंस करके आया हूं। वहां पंद्रह रेज़ोल्यूशन पास हुए हैं। मैं सोचता हूं कि अगर तीन चार महीनों में कोई फ़ैसला न हुआ तो रेवोल्यूशन हो जायेगा क्योंकि उड़ीसा में ऐसी परिस्थिति की सृष्टि हो गई कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने फ़ैसला दे दिया है कि गांवों में जितनी सरकारी बंजर ज़मीन है जिसके नाम पर पट्टा नहीं है उस से वह ज़मीन ले कर ग्राम पंचायत को दे दी जाये। जिन हरिजनों लोगों ने बीस तीस सालों से जंगल साफ़ करके उस ज़मीन को आबाद किया है वह ज़मीन उन से छीनी जा रही है।

ग्राम पंचायतों के द्वारा नूतन मेहतरों की सृष्टि हो रही है। गांवों में जो मेहतर काम करते हैं उन को तीस रुपया, सताइस रुपया तन्ख्वाह मिलती है जिसमें से नौ रुपया देती है ग्राम पंचायत और सत्रह रुपये स्टेट गवर्नमेंट देती है। जो मेहतर काम नहीं करते उन से ज़बर्दस्ती काम लिया जाता है—उन को कहा जाता है कि या तो मेहतर का काम करो वर्ना गांव छोड़ कर चले जाओ।

हम देखते हैं कि देश की उन्नति के लिए हम जो योजना बनाते हैं कहीं कहीं उस से उल्टा काम होता है जिस से हरिजनों को हानि भी होती है। अगर 9 फ़ीट और 3 फ़ीट इन दो डायामीटर का चक्र घूमता है तो 9 डायामीटर वाला 9 फ़ीट आगे बढ़ेगा और 3 फ़ीट डायमीटर वाला 3 फ़ीट आगे बढ़ेगा और वह पीछे रहेगा। तो फिर प्रगति कैसे होगी ? यह योजना ऐसी होनी चाहिये कि तीन फ़ीट और नौ फ़ीट के डायामीटर को डिमालिश कर के सारे देश को एक डायामीटर से घुमाना चाहिये, नहीं तो ऊंचा ऊंचा हो जायेगा और नीचा नीचा रह जायेगा।

श्री गणपति राम : उपाध्यक्ष महोदय मुझे तो उर्दू का यह शेर याद आता है :

हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती।

हम देश के उस समाज से आए हुए हैं जिस ने सदियों और युगों से समाज की सेवा की लेकिन इन्सान नहीं समझा गया, जिस ने देश के लिए स्कूल और कालेज बनाए, लेकिन अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाया, जिस ने धार्मिक स्थान मन्दिर और मस्जिदें बनाई, लेकिन जिन के लिए पूजा का स्थान नहीं है। क्या मैं आज यह पूछूं कि जो देश का पढ़ा-लिखा तबका है, जो देश की प्रजातंत्रीय सरकार है, जो इस राष्ट्र के जाग्रत और ज़िम्मेदार नागरिक होने का दावा रखते हैं क्या उन्होंने

[श्री गणपति राम]

कभी दिल पर हाथ रख कर सोचा है कि इस देश की छूआछूत क्या केवल हरिजनों की समस्या है अगर वे यह सोचते हैं कि यह केवल हरिजनों की समस्या है तो यह देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है । यह केवल हरिजनों की समस्या नहीं है बल्कि यह तो राष्ट्र का कलंक है ।

मुझे वह दिन याद आता है जब हिन्दुस्तान का राष्ट्रपति काशी नगरी जा कर वहां के उन पंडों के पावों को चूमता है जो मन्दिरों में हरिजनों के प्रवेश का विरोध करते हैं । उस वक्त सैकड़ों हरिजन जेलों में जाने के लिए तैयार थे और हिन्दुस्तान का राष्ट्रपति उन पंडों के पांव छू रहा था । यह बड़े शर्म की बात है । आज का राष्ट्रपति कहता है कि सामाजिक न्याय मिलना चाहिये और आर्थिक विषमताओं को दूर करना चाहिये । क्या मैं नम्रतापूर्वक उन से यह निवेदन कर सकता हूं कि क्या वह उदाहरण पेश कर सकते हैं ?

लोक सभा के 40 मैम्बर पिछले साल राजस्थान के दौरे पर गये थे। उन में मैं भी एक बदनसीब था। पुष्कर में श्री राम मंदिर के सामने हरिजन झंडा लिये हुए खड़े थे क्योंकि उनका मंदिर प्रवेश निषिद्ध था। बहुत से मैम्बर मंदिर में घुस गये । लेकिन उन्होंने विरोध किया और हम लोगों ने उसका बहिष्कार किया। मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो एक कलंक का टीका देश के माथे पर लगा हुआ है, इसको दूर करने के लिए क्या किया गया है। माननीय सदस्य इससे भली भांति अवगत हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप सच्चे मानों में इस देश से छुआछूत को दूर करना चाहते हैं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सत्तरह वर्षों के बाद भी आज हिन्दुस्तान में ऐसा कोई गांव है जिस पर उंगली उठा कर आप कह सकें कि वहां छूआछूत नहीं बरती जाती है ? स्कूलों को ही आप देख लीजिये। वहां पर भी हरिजन बच्चों के लिए अलग बरतन होते हैं और दूसरों के लिए अलग होते हैं। जो सरकारी छात्रावास हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्स्टियां हैं उन तक में उनके लिए अलग इंतजाम होता है दूसरों के लिए अलग। उन्हें दूसरों की तरह से क्यों नहीं रखा जाता है, उनको एक साथ मैस में क्यों नहीं रखा जाता है। इतना ही नहीं मैं आपको जो बतलाना चाहता हूं उसको सुन कर आपको आश्चर्य होगा कि विश्वविद्यालयों में या कालेजों के छात्रावासों में बरतन मांजने के पैसे तो इन से ले लिये जाते हैं, रसोई की फीस तो ले ली जाती है, पंखो आदि की फीस तो दूसरों की तरह से ले ली जाती है, सब कुछ ले लिया जाता है लेकिन खाने के बाद बरतन उन छात्रों को खुद मांजने पड़ते हैं।

कोचिंग क्लास इलाहाबाद में चल रही है जहां पर हिन्दुस्तान के आई० एस० एस० तैयार किये जाते हैं। वहां भी क्या यह मसला सरकार के सामने नहीं आया है? जहां पर हिन्दुस्तान के राजकाज को चलाने के लिए आई०ए०एस० तैयार किये जाते हैं, वहां पर भी अगर छूआछूत बरती जाए तो यह कितने शर्म की बात है।

बतौर एम० पी० यह मेरा तीसरा टर्म है। आप कहते हैं कि आपने एक कमिश्नर शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज का बिठा रखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस कमिशनर ने साल में कभी एक बार भी एम०पीज० को बुलाने की चेष्ठा की है और उनकी सलाह जानने की कोशिश की है? हिन्दुस्तान के कोने कोने में चक्कर काट कर वह रिपोर्ट तो पेश कर देते हैं लेकिन हिन्दुस्तान

की असैम्बलियों के मेम्बरों से या पार्लियामेंट के मेम्बरों से उन्होंने क्या कभी राय लेने की कोशिश की है कि वे इस मामले में क्या सोचते हैं ? इस कमिशन का मतलब क्या है ? इस तरह से जो कमिशन काम करता हो उसको कायम रख कर क्या हरिजनों के ऊपर एक तरीके का बोझ नहीं लादा जा रहा है ?

आज आप कोर्टस को ले लीजिये। मैं भी उन बदनसीब आदमियों में से एक हूं जो वकालत करने के लिए गये और वकील लोगों के बीच में से भी हमारी क्लास अलग कर दी गई। सरकारी दफ्तरों में भी देखा गया है कि हरिजन कर्मचारियों के लिए अलग ग्लास होते हैं और दूसरों के लिए अलग।

इनकी आर्थिक दशा चिन्तनीय है। इनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए यह जरूरी है कि इनमें भूमि वितरित की जाए। जो चकबन्दी हो रही है उसको आप देखें। इस में उनके घर और उनके द्वार भी दूसरों को दे दिये जाते हैं। जो चक उनको मिलने चाहियें नहीं मिल पाते हैं। उनके घरों और कुंओं की चारों तरह की जमीन दूसरों को दे दी जाती है।

आचार्य विनोवा भावे ने भूदान आन्दोलन चलाया है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस आन्दोलन में कितने गांव और कितनी भूमि प्राप्त हुई है और उस में से कितनी भूमि हरिजनों आदि को दी गई है ? कितनी भूमि उनको दी गई है जिन को वास्तव में भूमि मिलनी चाहिये थी ? जो परती और बंजर जमीन है वह उनको मिलनी चाहिये थी लेकिन मिली नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं उनको यह भूमि दी गई है ?

जहां तक व्यापार और उद्योग का सम्बन्ध में, क्या मैं पूछ सकता हूं कि कितने कोटे और परमिट हरिजनों इत्यादि को दिये गये हैं और कितने बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को दिये गये हैं, पैसे वालों को दिये गये हैं ? ट्रांसपोर्ट के कितने परमिट इनको दिये गये हैं, क्या यह भी मैं आपसे पूछ सकत हूं ? स्टेट्स से आंकड़े मंगा कर आपको बतलाना चाहिये कि इस क्षेत्र में इनके लिए क्या कुछ किया गया है ?

जो सरकारी अनुदान सैंटर की तरफ से या स्टेट्स की तरफ से दिये जाते हैं, क्या वे सारे के सारे खर्च होते हैं। सैंट्रल गवर्नमेंट आंख मूंद कर बैठी है। तीन योजनायें पूरी हो चुकी हैं और इन योजनाओं में जो अनुदान प्रान्तों को दिये गये थे वे भी खर्च नहीं हो सके हैं।

सरकारी नौकरियों का नाम लिया जाता है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोक सभा की जो कमेटियां होती हैं उन में भी दूसरों को भर दिया जाता है और जो पददलित हैं, जो शैड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं चाहे वे एजुकेटिड हों या न हों, क्वालिफाइड हों या न हों, इगनोर कर दिया जाता है। इस तरह की जो चीजें हैं इनको देख कर तरस आता है। सरकार इस देश में जनतांत्रिक समाजवाद लाने का दावा करती है। क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि उसके दिल में समाजवाद की परिभाषा क्या है ? कब तक वह समाजवाद ला देगी ? मैं....

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member is casting reflections on the Speaker. They are all appointed by the Speaker. The hon. Member should not cast such reflections on the Chair.

श्री गणपति राम : इन चंद शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य ने जो कमिशन बनाने का सुझाव दिया है और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक हालत को सुधारने की जो मांगें हैं, जो विषमता है, उसको दूर करने के लिए जो मांग की है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

Mr. Deputy-Speaker: The debate on this resolution should conclude at 4.22 p.m. But as there is a large number of speakers, we shall extend the time by another half an hour, so that there would be some time left for the next resolution also.

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली-करोल बाग): आध घंटे से काम नहीं चलेगा। समय ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरा मौका मिलेगा। The maximum time that can be allotted is only 2½ hours.

श्री प० ला० बारूपाल : सभी प्रान्तों के लोगों को बोलने का मौका मिलना चाहिये। जो अनुसूचित जातियों के लोग हैं उन सब को मौका मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : और मौका मिलेगा।

श्री प० ला० बारूपाल : पंद्रह साल हो गए हैं, चिल्लाते चिल्लाते।

उपाध्यक्ष महोदय : बजट आ रहा है और उसमें मौका मिल जाएगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय : जो प्रस्ताव बाल्मीकी जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। जनसंघ की ओर से मैं यह मांग करता हूं सरकार से कि चूंकि इस क्षेत्र में जिस ढंग से उन्नति होनी चाहिये थी नहीं हुई है इसलिए एक कमीशन बनाया जाना बहुत आवश्यक है। इस कमीशन के अन्दर सभी दलों के लोग होने चाहियें ताकि ठीक ढंग से इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार किया जा सके और काम को संतोषजनक ढंग से आग बढ़ाया जा सके।

15.26 hrs.

[SHRI SONAVANE *in the Chair*]

हम ने देखा है कि इन लोगों को जिस अनुपात में नौकरियां मिलनी चाहिये थीं नहीं मिल पाई हैं। जब इस का कारण पूछा जाता है तो बताया जाता है कि ठीक प्रकार के पढ़े लिखे लोग नहीं मिलते हैं। इस कारण से जो कोटा हरिजनों के लिए, शैड्यूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए निर्धारित किया गया है वह पूरा नहीं हो पाता। हरिजन लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग आप को कहां से मिलेंगे जब कि उन को शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं मिलती है। शिक्षा के लिए जो उन को वजीफे मिलते हैं वे भी समय पर नहीं मिलते हैं और इस कारण से उन को बहुत असुविधा होती है। बहुतों को तो पढ़ाई ही बन्द कर देने पर मजबूर होना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि समय पर इन को वजीफे मिलने चाहियें। इस के साथ साथ मैं यह भी

कहना चाहता हूं कि छात्रावासों का भी अधिक संख्या में आप को निर्माण करना चाहिये और इन छात्रावासों में उच्च जाति के लोगों को और इन लोगों को भी एक साथ रखने की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि इन को मालूम पड़े कि इन के साथ कोई भेद भाव नहीं बरता जाता है। यह जो छुआछूत की भावना, यह जो भेदभाव देश में फैला हुआ है, समाज में फैला हुआ है, इस को समाप्त करने के लिए हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये । इस दिशा में सरकार ने कदम तो उठाये हैं लेकिन जिस गति से, जिस तेजी से उठाये जाने चाहिये थे नहीं उठाये हैं। हमारा भी यह कर्त्तव्य है कि हम लोगों में जा कर उन में यह भावना भरें कि ईश्वर के बनाये हुए सब जीव हैं, सब प्राणी हैं और मनुष्य मनुष्य में भेदभाव नहीं होना चाहिये ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आदिवासियों और हरिजनों को अधिक से अधिक जमीन दी जानी चाहिये । हम ने देखा है कि ठीक प्रकार से उन की जमीन नहीं मिलती है । उन के पास करने के लिए कुछ नहीं । वे बेरोजगार हैं। चकबन्दी की बात होती है और उसके बारे में नियम भी बनाये गये हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को, कितने पिछड़े हुए, कितने हरिजन लोगों को आप ने जमीन दी और कितनी दी । बहुत ही कम लोगों को जमीन मिली है । जमीन दिलाओ आन्दोलन देश के अन्दर रिपब्लिकन पार्टी की ओर से प्रारम्भ किया गया था और इस आन्दोलन के दौरान में कितने ही लोग जेलों में गये थे । उनका एक ही उद्देश्य था कि गरीब लोगों को, पिछड़ हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जमीन मिलनी चाहिये।

देहातों के अन्दर उद्योग भी खुलने चाहियें औद्योगिक शिक्षा भी इनको दी जानी चाहिये । ताकि अधिक से अधिक लोग इन में से उद्योग धंधों में लग सकें । वे जो हाथ की चीजें बनाएं उन को बेचने के लिये एक बाजार भी होना चाहिये ताकि ठीक ढंग से उन की चीजें बिक सकें और ठीक दाम उन को अपनी चीजों के मिल सकें । जो चीजें, जो वस्तुयें वे हाथ से बनाते हैं वे बड़े बड़े कारखानों में भी बन रही हैं । उस के कारण से आज काफी लोग बेकार हो रहे हैं । जहां तक आदिवासियों का सम्बन्ध है आदिवासी और पिछड़े हुए क्षेत्रों के अन्दर आज लाखों की तादाद में लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उन को ईसाई बनाया जा रहा है । मेरा अंदाजा है कि पादरियों द्वारा डेढ़ अरब रुपया इस काम पर खर्च किया गया है, उन का धर्म परिवर्तन करने पर खर्च किया गया है । इस ओर भी हमारी सरकार को देखना चाहिये ।

पिछली बार हमारे मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों के अन्दर जिन आदिवासियों के पास जमीनें थीं वे जमीनें भी उन से छीन ली गईं और उन की लगभग एक करोड़ की फसल को समाप्त कर दिया गया एवं उन के झोंपड़े भी जला दिये गये थे । और उन्हीं के बारे में हम मंत्री महोदय से मिले थे और उन्हों ने आश्वासन दिया था कि वह इस ओर पूरा ध्यान देंगे और इस बारे में जांच करने के लिए अपने डाइरेक्टर को भेजेंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हों ने अपने डाइरेक्टर को भेजा, और अगर भेजा तो उनकी रिपोर्ट क्या है । एक तरफ कहा जाता है कि हम जमीन देंगे और दूसरी तरफ उन को उजाड़ा जाता है, जो उन को पैसा मिलना चाहिए वह नहीं मिलता ।

अभी तक पिछड़ी जातियों के नाम से कुछ संगठन चल रहे हैं । इन संगठनों को सरकार से काफी पैसा मिलता है जिस का दुरुपयोग किया जाता है । इन दलितो के नाम से वे सोसाइटियां चलती हैं और उनको सरकार से काफी पैसा मिलता है । इस का लाभ कौन उठाता है ? यहां पर बहुत से सदस्य बैठे हैं जिन का उनसे सम्बन्ध है । वे अपने चुनाव में

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

उस का लाभ उठाते हैं। मैं इस का प्रमाण दे सकता हूं ।

हम कहते हैं कि हम को तरक्की करनी चाहिये हरिजनों को आगे बढ़ाना चाहियें लेकिन हरिजनों के एक दो जाति को छोड़ कर बाकी को लाभ नहीं हो रहा है। कुछ लोग यहां पन्द्रह-पन्द्रह साल से सदस्य बने हुए हैं और वे अपनी कुरसी नहीं छोड़ना चाहते। वे अपनी जाति की ओर अपने भाई भतीजों की तरक्की चाहते हैं और इसलिये दूसरी जाति के लोगों की तरक्की नहीं हो पाती। ऐसी भावना उन में फैली हुई है। मैं चाहता हूं कि सब जातियों को आगे आने का मौका मिलना चाहिये। मेरा निवेदन है कि शिक्षा के क्षेत्र में और धन्धों में हरिजनों की सब जातियों को ठीक प्रकार से सहायता मिले ।

Shri M. R. Krishna (Peddapalli): This is a resolution which has come very late in the day. I stoutly oppose it simply because in these 17 years, for over ten years there were committees which constantly went into this question to find out to what extent the scheduled castes and scheduled tribes in this country have been benefited. Ten years is not a short period. In addition to these reports which must have cost the public exchequer an enormous amount of money, the Commissioner for Scheduled Castes brings out an annual report. He presented 12 reports. That organisation also costs Government quite a bit of money.

I do not think there is any need for trying to find out what is the problem and to what extent it still exists. Saints like Vivekananda have preached against untouchability. When Mahatma Gandhi fasted on this issue —that episode is known as the Poona Pact—the whole world came to know of the problems of untouchables in this country. Critics like Miss Katherine Mayo have written voluminously about the condition of scheduled castes in this country. I am surprised that the Government still feel that they have to examine this problem. When they say this when resolutions of this kind come before us, it only creates the feeling that there is no dearth of money in this country or with Government, but there is definitely deficiency of intelligence and interest among the people at the helm of affairs.

Before independence, who was the person handling this portfolio of Harijan welfare? No less a person who is internationally known as the saint-politician, Mahatma Gandhi, the father of the Nation and mother of untouchables. He did not even care to entrust it to his stoutest lieutenants known for their fame and for their interest in the upliftment of the minorities and the downtrodden communities. He himself dealt with it.

But what has become of the fate of this community after the achievement of independence? It has been entrusted to half-Ministers and half-Secretaries in centre and in some States, and to a three-fourth Minister in my own State of Andhra Pradesh; if there are any full-fledged Cabinet Minsiters, they are too good to handle the Harijan portfolio because many of them have a complex, not superiority complex, and they feel such complex is the adoration of modesty. This is the fate of the scheduled castes and their welfare programmes in the country. When that is the position, I was really surprised that Shri Balmiki has brought this resolution before this House and tires this House and also forces Government to spend some more money which is going to be a waste.

I can narrate many instances which are happening against the Scheduled castes in the States under Panchayat Raj. The Central Government are not unware of them. I am

certain the reply would come from the Deputy Minister that the Central Government are honest, serious and sincere in implementing the programmes and also in finding the money, but it is State Governments which have to ultimately implement the schemes. This is not an innovation or discovery. It does not need any intelligence to say this. This is the very answer which has been given in this House and elsewhere, that these problems are to be dealt with by State Grevonments for the last 17 years. But when the Central Government have taken it upon themselves, and when they are convinced that the programmes which they want the State Governments to implement are not implemented, what are the steps the Central Government and the concerned Ministry are taking or propose to take. Even the Report of the Commissioner for scheduled castes is almost treated like an 'untouchable' report. Therefore, it does not get priority for discussion in this House. I would definitely like you to impress upon the Mnisiter of Parliamentary Affairs, who has really become hectic and active nowadays to see that the things which have been implemented in the States, certain measures which Governments have adopted and implemented successfully in the States as well as those measures taken by the Centre will have to be made known to this House in every session. That would be a constructive thing for Government to do. It is not going to satisfy anybody in this House or outside if they simply come to this House and say that they have got the schemes which will have to be implemented by State Governments. What is needed is the information about the progress in implementation.

Three Plans are almost over now. The Planning Commission has never given any thought to the problem of the scheduled castes. There are people who want land reforms to be implemented. Land reforms are really a very good thing. But I think it is going to be suicidal to any Harijan who gets a bit of land, mostly barren or hilly, but does not get or has any money to develop it. That is not only harmful to the person who gets that land; it is also a national waste because food production definitely suffers if land is fragmented and given to people who cannot cultivate it because of poverty.

The Supreme Court's decision is there. It has been flouted by Government. What has the Ministry which is handling this problem done? I do not think there is any reply given so far in this House as to why the Supreme Court decision which is in favour of Harijans has been flouted or kept in abeyance. I would like an answer from the Minister.

Another thing. In the departments concerned, people handling this problem, which is really very vital, are those who have neither interest nor konwledge about Harijan problems. I would certainly plead that people who have been devoted to this kind of service like Vyogi Hari, are the people who should handle this department. It should not be just entrusted to an officer who is more careful about sticking to the rules than having any human feeling towards this community.

Lastly, I want that there should be a Ministry in the Centre. When a Rehabilitation Ministry is there, I do not see really any reason why there should not be a separate Ministry for Harijan Welfare. When I ask for a separate Ministry, I would like to make one thing clear. I do not want a separate Ministry, whether it is in the States or at the Centre, to be manned by a Harijan, because as I said earlier, the Harijan Ministers in the States are really very nice persons, but they are too good to be Ministers. Therefore, I plead that this Ministry should be entrusted safely to somebody who has got the interests of the downtrodden people at heart.

श्री प० ला० बारूपाल : सभापति महोदय, श्री बाल्मीकी ने जो संकल्प सभा में रखा है मैं उसका हृदय से स्वागत व समर्थन करता हूं ।

हमारे भाइयों और हमारे सहयोगियों ने इस बात पर गहरी चिन्ता प्रकट की है कि मैं लगातार सन् 1952 से तथा अन्य मेम्बर्स भी प्रतिवर्ष हरिजनों की दशा सुधारने और उनका उद्धार करने के लिए चिल्लाते रहते हैं लेकिन अभी तक हम हरिजनों और अछूतों की दशा दयनीय बनी हुई है। जहां तक छूआछूत और अस्पृश्यता का सवाल है वह पुलिस विभाग में भी है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ़ डिपार्टमेंट में भी है और रक्षा मंत्रालय में भी है । हिन्दू समाज के जितने भी अंग हैं उसके जर्रे जर्रे में यह अस्पृश्यता भरी हुई है । सरकार ने इस बात का हमें आश्वासन दिया था कि हरिजनों के सामाजिक उत्थान के लिए कांग्रेस सरकार उनको पूरा समर्थन देगी और हर तरह की इसके लिए उन्हें पूरी पूरी सहायता प्रदान करेगी लेकिन हम यह देख रहे हैं कि हमारे सपने आज साकार नहीं हो रहे हैं और वे धूमिल होते जा रहे हैं । अफसोस की बात है कि हम मनुष्य होने के नाते जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं उन अधिकारों के लिए, अपने सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनैतिक अधिकारों के लिए हम यहां पर भीख मांगते है, भिखमंगों की तरह हाथ फैलाते हैं तो यह हमारे लिए नहीं बल्कि इस कांग्रेस और बापू के अनुयायियों की सरकार के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है । मैं आप से कहना चाहता हूं कि आज हम लोगों की यह जो हालत है यह ज्यादा दिन बर्दाश्त कर सकने की नहीं है । आप लोगों ने भी मैं समझता हूं देखा होगा कि जब यहां पर सामन्तशाही का बोलबाला था, राजा लोग शासन करते थे तब भी उनके राज्य में हरिजनों और अछूतों पर इतना अत्याचार और जुल्म नहीं होता था जितना कि आज होता है । आज तो हालत यह है कि जो हरिजन कुंए से पानी लेना चाहते है तो उसे गोली का शिकार होना पड़ता है । मैं आपको बतलाऊं कि राजस्थान के अन्दर गांव अवाय, तहसील नाचना जिला जैसलमेर जहां कि मेरे रिश्तेदार और स्वजातीय बंधु रहते हैं उन 3 मेघवालों के नाक, कान व हाथ काट डाले गये क्योंकि वह औरतों को जेवर पहनाते हैं । 10 तारीख़ को इसी सदन में मैंने एक कौलिंग अटेंशन नोटिस देकर सरकार का ध्यान उस घटना की ओर दिलाया और यहां पर उसको लेकर काफ़ी चर्चा भी हुई । मुझे लोग लानत देते हैं कि तुम पार्लियामेंट के मेम्बर इतने दिनों से हो और अभी तक तुम यह गरीब हरिजनों पर अत्याचार व जुल्म बंद नहीं करा पाये जबकि तुम्हारी अपनी कांग्रेसी सरकार है और वह कहते हैं कि यह मेरे लिए और मेरी सरकार के लिए कितने शर्म की बात और डूब मरने की बात है ।

एक जमाना वह भी था कि जिस समय सरदार पटेल के पास यह रियासतों का विभाग होता था और उनके सामने इन देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण का मसला पेश था । हमने देखा कि उस समय कुछ राजाओं ने थोड़ी चूं चां की थी, टालमटोल करने की कोशिश की थी तो सरदार साहब ने जहां अपनी भवें जरा तानी और उनकी तरफ़ घूर कर देखा तो बस उनका पेशाब गिरने लगा था और सारे एकदम सीधे रास्ते पर आ गये थे । आज सरकार की ढिलमिल नीति हो गयी है और वह सब तत्वों को खुश करने की चेष्टा करती है नतीजा इसका यह होता है कि वह किसी को भी खुश नहीं कर पाती है । सरकार की आज कुछ ऐसी हालत बन गयी है :—

"जग तन को भगतन हो,
और कहो वेश्या को बहन ।
डायन को मौसी कहो,
सब बातन को चैन ।।"

जरूरत इस बात की है कि सरकार एक सही नीति अपनाये और फिर उस पर दृढ़ता के साथ अमल करे । आज हरिजनों की बड़ी दुर्दशा हो रही है और जिस तरह से शमा पर परवाने जल जल कर मरते रहते हैं उसी तरह हरिजन इस शमा रूपी हिन्दू समाज पर जल जल कर मर रहे हैं । जिस तरह से शमा पर परवाने मरते हैं उसी तरह से हरिजन इस हिन्दू जाति के साथ रह कर और इस सरकार के साथ रह कर अपनी जान दे रहे हैं लेकिन याद रखिये कि यह सरकार और यह हिन्दू समाज भी तभी तक कायम है जब तक कि हरिजन उनके साथ हैं । अगर कहीं यह दस करोड़ हरिजन सरकार से अलग हो गये, उन्होंने अछूतिस्थान का नारा लगा दिया तो देश का क्या बनेगा यह आप स्वयं सोच सकते हैं । इन दस करोड़ हरिजनों के सहयोग के बगैर हिन्दुस्तान में किसी की भी सरकार बनने वाली नहीं है । लेकिन जैसा मैंने कहा जिस तरह से परवाने शमा पर गिर गिर मरते रहते हैं और शमा अपनी शान से जलती रहती है वही आज हालत हरिजनों की हो रही है और हिन्दू समाज की है ।

Mr. Chairman: You have used indecent language. Please withdraw that.

श्री प० ला० बारूपाल : श्रीमन्, मेरी मातृभाषा है वह मैं क्या करूं ?

सभापति महोदय : आपको इनडीसेंट लेंग्वेज विदड्रा कर लेनी चाहिए ।

श्री प० ला० बारूपाल : मैंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं कही है, मैंने कोई गाली नहीं दी है । मैंने तो खाली एक उदाहरण दिया था अगर आप नहीं समझते तो इसमें मेरा क्या कसूर है ?

सभापति महोदय : आर्डर आर्डर । आप सिर्फ वह इनडीसेंट शब्द वापिस ले लें ।

श्री प० ला० बारूपाल : अजीब हालत है ? हमारे दुखों की पिटारी भरी हुई है उसके लिए हम चिल्ला भी नहीं सकते यह क्या बात है ? आज हम लोगों की हालत कैसी बनी है :—क्या आप नहीं जानते हैं ? हमारी हालत तो यह है कि—

"हाय ! देही कैसे भई अनचाहत को संग ।
दीपक को भावे नहीं और जर जर मरे पतंग ।"

अब भी समय है कि यह सरकार और हमारा हिन्दू समाज चेत जाय । हमने देखा कि चार करोड़ मुसलमानों ने अपना एक अलग देश पाकिस्तान बना लिया हिन्दुस्तान को खण्डित कर दिया । हम अछूतों ने वैसा नहीं किया और उनकी पाकिस्तान की तरह से एक अछूतिस्थान का नारा नहीं लगाया । हम श्री जगजीवन राम के नेतृत्व में रह कर हिन्दू समाज में बने रहे और देश की बेहतरी और उसकी एकता के लिए सदा प्रयत्नशील रहे । देश की एकता को सुरक्षित रखने के लिए यह पिछड़ा समाज और अनुसूचित समाज अपने आप को कुर्बान कर रहा है । हम लोग पेट पर पट्टी बांध कर देश निर्माण के कार्यों में जुटे हुए हैं तो हमारा कहना है कि आप हमारे मूलभूत अधिकारों की रक्षा क्यों नहीं करते हैं ? अगर इतने वर्षों से पालियामेंट के अन्दर हम लोगों तथा अन्य लोगों के चिल्लाने पर भी असर नहीं होता है और पिछड़ी जातियों का उद्धार नहीं होता और अस्पृश्यता का निवारण नहीं होता है तो हमारा और हमारे अन्य साथियों का अन्दर और बाहर का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक घूम घूम कर हम अलख जगायें और हरिजनों के उद्धार का काम सम्पन्न कर के ही दम लें । कहा भी गया है कि जब तक बच्चा रोता नहीं मां तब तक दूध नहीं पिलाती है फिर यहां तो और भी खराब है । सरकार केवल हमारे कुछ लोगों के यहां चिल्लाने से मानने वाली नहीं है और न ही कोई दूसरा मानने वाला है । इसके लिए पंजाबी में एक कहावत भी है कि भीख मांगने से कभी नहीं मिलती

[श्री प० ला० बारूपाल]

है । पंजाबी में कहा गया है :—

"दुनियां मनदी जोरा नूं ।
लख लानत है कमजोरां नूं ।।
यह जीभ दांदा बिच रेहंदी है ।
वह हिलदे दंदनु खांदी हैं ।।"

सीधी उंगली घी नहीं निकलता है । हमको इसके लिए सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक क्रांति देश में लानी होगी ।

मैं श्री कछवाय से कहना चाहता हूं कि मैं यहां जो आया हूं वह गरीब और पिछड़ी जनता के वोट पर चुन कर आया हूं । हरिजनों ने मुझे यहां चुन कर भेजा है और मैं किसी के अहसान के कारण यहां मौजूद नहीं हूं । मैं चमार जाति से हूं और चूंकि मैं उनके बीच में रह कर काम करता हूं इसलिए वे मुझे यहां पर हमेशा भेजते हैं । यहां पर कोई भी आदमी किसी की दया पर नहीं आता है । जनता जनार्दन जिसे चुन कर भेजती है वही यहां आ पाता है ।

सभापति महोदय दुःख की बात तो यह है कि हमारी बहन मंत्राणी जी भी एक हरिजन हैं :—नाचन . . . .

यहां उनके अलावा कोई दूसरा भाई मंत्री आदि सुनने वाला नहीं है और इसे हमारी बदकिस्मती ही कहना चाहिए ।

डा० राम मनोहर लोहिया (फरूखाबाद): यह सरकार सांप को छेड़ना जानती है लेकिन उस के दांत तोड़ना नहीं जानती है । अकाल के सांप को भाषा के सांप को सम्पत्ति के सांप को जिस तरह इस सरकार ने छेड़ कर के जगा दिया है उसी तरह जाति के सांप को भी इस सरकार ने जगा दिया है । जो ऊंची जाति के लोग हैं खास तौर से गांवों में उन को चिढ़ हो गयी है कि हरिजन और दूसरे पिछड़े उठ रहे हैं । लेकिन वास्तव में जो भी 7–8 करोड़ हरिजन हैं उन में से मुश्किल से 70–80 हजार हरिजन उठे होंगे । हो सकता है कि कुछ ज्यादा हों । हजार में एक । जब हजार में एक का सुधार हुआ हो तो ऊंची जाति के प्रायः सभी लोगों की आंखों में यह किरकिरी गिनने लग जाय तो समझ लें कि देश का कोई सुधार नहीं हो सकता है । इस का सब से बड़ा कारण शायद हमारी आजकल की राजकीय पद्धति है । वर्त्तमान सरकार दोषी है । हम लोग भी दोषी हैं अगर उस दोषी चीज का अनुकरण करें और वह यह है कि आज सरकार जो कुछ करती है वह बड़े लोगों के लिए करती है और इस दृष्टि से करती है कि हमारे वोट के ठेकेदार कितने मिलते हैं ? भला करने के लिए देश को ऊंचा करने के लिए नहीं बल्कि असरदार लोगों को पकड़ा जाय जोकि वोट ला सकें । अब यह 70–80 हजार बाकी सब हरिजनों के लिए आकर्षण के केन्द्र बन जाते हैं और वे वोट के ठेकेदार बन जाते हैं, वे हरिजनों को कांग्रेस के पक्ष में ले जाते हैं । इस लिए मैं अपने हरिजन बन्धुओं से, जो कांग्रेस में हैं और जिन्होंने यहां पर बहुत सी बातें कहीं, पहला निवेदन यह करूंगा कि जो कुछ उन्होंने यहां पर कहा है, ठीक उससे उल्टा काम वे करते हैं, क्योंकि वे उसी सरकार के बगल में दो करोड़ या जितने भी वोट देने वाले हरिजन हैं, उन को लेकर चले जाते हैं ।

जो भी पंच-वर्षीय योजनायें हैं, उन में हरिजनों अथवा पिछड़ों के लिए अनुदान की रकम अलग से दे दी जाती है, लेकिन पूरी पंच-वर्षीय योजना से पिछड़े लोगों का कितना उद्धार हुआ, इसका मूल्य-माप कभी नहीं किया जाता है । पंच-वर्षीय योजनाओं में अन्य विषयों में मूल्य-माप होता है, न जाने कितनी रपटें हमारे पास आती हैं, लेकिन मैं ने इस सरकार की एक भी रपट नहीं

देखी है, जिसमें ऐसा मूल्य-माप हो कि पंच-वर्षीय योजना का रुपया खर्च करने पर हरिजन, आदिवासी या पिछड़े कितना सुधरे हैं और किस दिशा में सुधरे हैं। आज चौथी पंच-वर्षीय योजना बन रही है। उस में दो खरब और कुछ अरब रुपयों का खर्च होगा। हो सकता है कि हरिजनों के लिए 70, 80 करोड़ रुपया अलग से दे दिया जायेगा—जरा सा छोटा सा एक पुछल्ला जोड़ दिया जायेगा। लेकिन जो सारा जानवर है पंच-वर्षीय योजना वाला, वह वास्तव में जो पहले से ऊंचे हैं, उनको और ऊंचा उठाता है और जो नीचे दबे हुए लोग हैं, उन पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता है।

जहां ऐसी स्थिति है, वहां मैं पूरे समाज से यह कहना चाहूंगा कि एक व्यापक दृष्टि रखो। हमारी 48 करोड़ की आबादी है। उसमें 7–8 करोड़ हरिजन हैं। सब पिछड़े मिला कर करीब 43 करोड़ होंगे। जहां तक औरतों का सम्बन्ध है, मैं सबको पिछड़ा मानता हूं, चाहे वे किसी भी जाति की हों। सब मर्द-औरत मिलाकर पिछड़े 43 करोड़ होते हैं। अब रह जाते हैं ऊंची जाति के ग़रीब लोग। वे हैं करीब साढ़े चार करोड़। और पचास लाख हैं सचमुच बड़े लोग, जो ज्यादातर ऊंची जाति वाले हैं। जब तक हम इस वर्तमान सामाजिक दोष को नहीं समझ पायेंगे कि जो ऊंची जाति के साढ़े चार करोड़ ग़रीब लोग हैं, उन का मुंह लगा रहता है अपनी ही जाति के अमीर लोगों की तरफ और उन्हीं से वे अपना सोचने का तरीका लिया करते हैं, तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता है। इन साढ़े चार करोड़ ऊंची जाति के ग़रीब लोगों का मुंह अपनी जाति के ऊंचों से मोड़ कर 43 करोड़ पिछड़ों की तरफ लगाना होगा और जब 43 करोड़ पिछड़ों और साढ़े चार करोड़ ऊंची जाति के ग़रीब लोगों की राजकीय दोस्ती की खिचड़ी पकेगी, तब उसमें से वह बारूद पैदा होगा, जो पचास लाख बड़े लोगों की ऐयाशी को जला कर राख कर देगा और फिर उसके ऊपर नये हिन्दुस्तान का निर्माण हो सकेगा। सिवाय इसके अब और कोई रास्ता नहीं रह गया है।

वर्ना क्या होगा? हम हमेशा एक मौका देते रह जायेंगे कि लासा फेंक दो और लोगों को चिपका लो। बचपन में मैं ने एक ही बार चिड़िया पकड़ने का कार्यक्रम देखा था। बाल्मीकी जी महाराज कहीं ऐसा न कर दें। लोग लासा फेंक देते हैं—जगजीवन राम जी का लासा फेंक दो, बाल्मीकी जी का लासा फेंक दो सब हरिजन लोग उसमें चिपक जायें। उसका नतीजा बड़ा ख़तरनाक हो जाया करता है। जब तक यह लासेबाजी और वोट की ठेकेदारी ख़त्म नहीं होती है तब तक इस प्रश्न पर सोच-विचार नहीं हो सकता है। वास्तव में जितना भी आज हिन्दुस्तान है, वह टूट गया है मैं इस वर्तमान सरकार के पापों और कुकर्मों की सूची में सब से बड़ा पाप यह मानता हूं कि इसने लोगों की दृष्टि को तोड़ दिया—कहीं कोई व्यापक और सम्यक दृष्टि नहीं है। लोग विश्वास नहीं करते हैं कि सारा देश बढ़ सकता है, सारे देश की दौलत बढ़ सकती है। खाली अपना अपना हिस्सा बढ़ाने में सब लगे हुए हैं।

इस लिए हरिजनों अथवा पिछड़ों को उनका हिस्सा कभी नहीं मिल सकता है, जब तक व्यापक दृष्टि नहीं बनेगी कि सब की दौलत बढ़ाओ। सब की दौलत तभी बढ़ सकती है जब हरिजनों की दौलत बढ़ेगी। मैं जानता हूं कि जिनके यहां हरिजन या पिछड़े काम करते हैं उनके मन में यह है कि अगर उनकी तनख्वाह पचास साठ रुपये हो जायेगी तो हमारा हिस्सा कम हो जायेगा। जब तक वे यह नहीं सोचेंगे कि जब हरिजनों, कुम्हारों, बर्तन साफ करने वालों या मेहतरों की तनख्वाह सौ, डेढ़ सौ, दो सौ रुपया महीना होगी तब सारे देश की दौलत बढ़ेगी, सारे देश की उन्नति हो

[डा० राम मनोहर लोहिया]

जायेगी तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती है ।

मुझे तो कई दफा लगता है कि अगर मेहतरों की तनख्वाह वह कर दी जाये,—अध्यक्ष महोदय, मैं कहना तो यह चाहता था कि जो प्रधान मंत्री की है लेकिन प्रधान मंत्री के तो ऊपर लवाजिमात ऐसे हैं कि मैं वह नहीं कह सकता—जो मंत्रियों की है,—अगर श्री कृष्णमाचारी साहब की हो तो और अच्छा है क्योंकि उसमें और बहुत मामला आ जाता है,—अगर आज मेहतरों की तनख्वाह तीन चार सौ रुपया महीना कर दी जाये तो मैं समझता हूं कि बड़ा जबर्दस्त असर पड़ेगा और जो ये ऊंची जाति वाले लोग हैं तब इन में से बहुत से झाड़ू लगाना और पाखाना साफ़ करना शुरू करेंगे तब जाकर इस देश में कोई सुधार होगा ।

Mr. Chairman: Shri Siddiah. There are many Members who are anxious to speak. Please strictly confine yourself to seven minutes each.. (*Interruptions.*) Order, order. I have called Shri Siddiah.

Shri Siddiah (Chamarajanagar): Sir, I congratulate Mr. Balmiki for having brought this Resolution and focussed the attention of the Government and the country on the problem of the Scheduled Castes. The time is very short and it is a very complicated issue. I will try to be brief Government will always say that untouchability has almost gone and that it is going away. They do not know the realities. Go to any village. You will find untouchability almost in tact. If it has gone, it is only in the cities and towns. Even there it exists in some form or the other. The State and the Central Governments are giving some grants for the removal of untouchability. But some of the State Governments are also encouraging untouchability. The Mysore Government is maintaining separate primary schools, thousands of such schools. For the last eight years, ever since I became a Member of Parliament, I am bringing this to their notice but no addition had been taken.

Shri R. G. Dubey (Bijapur North): At least in Belgaum and Gurbarga divisions, there are no separate schools.

Shri Siddiah: I am talking about the old Mysore area. Actually in those areas where of the total the population nearly 25 per cent belong to the scheduled castes, they have started separate schools long back and those schools are being continued even today.

Then there are some Government schools—not private or aided schools, to which even Hirijan teachers are no allowed to enter. Government has kept quiet about it and is not taking any action when it was brought to their notice. In spite of seventeen years of work for the removal of untouchability, I want to know whether in Mysore there is any common drinking water well for the Harijans and others. Can my hon. friend, Shri Dubey who said there are no separate schools there, give me an instance where drinking well is used by both the Scheduled Castes and others? I do not think there is any common well in the whole of Mysore State. (*Interruption*). I cannot speak about other States.

16 hrs.

Mr. Chairman: Order, order. Please hurry up with your points.

Shri Siddiah: Even in the cities, even those gazetted officers who belong to the Scheduled Castes are not able to get houses to live in. If I had the time, I would have given examples. According to the 1961 census, the population of Scheduled Castes is about 6½ crores. In the first Five Year Plan, Rs. 7 crores were allotted for the various projects, both Central and State sectors. This works out at the rate of 20 paise per

head per year. In the second Five Year Plan, Rs. 27:11 crores were allotted; it will mean about 80 paise per head per year. In the third Five Year Plan, it is Rs. 40.14 crores which works out to about Re. 1.20 per year per head. With this allotment, I do not think the economic condition of the Scheduled Castes will improve. I have given the figures for both the Central and the State sectors.

With regard to the services, according to the latest figures available —that is, 1963 figures—in Class I, the percentage of Scheduled Castes is 1.3 only; in Class II, it is 2.8; in Class III, it is 7.8; in Class IV, it is 17. This is the percentage, though the percentage was fixed as 12½ for the Scheduled Castes and as five for the Scheduled Tribes. This is the state of affairs after so many years of safeguards that were provided to them by the Constitution.

My hon. friend has already referred to the reservation in promotion, particularly in the railway services. There was promotion from Class III to II. It has been taken away now. As my hon. friend suggested; if there is a change of Government, they could think of a change in policy; but then, even without a change of Government, with a change of even a Minister, things have begun to change and they have taken a different shape. I think it is reprehensible, really, that a thing which was considered to be constitutionally valid by the Supreme Court should be taken away by this Government.

There are so many appointments made every day in the public sector undertakings. There is no reservation, and this Government has come to realise it now, and I am told that they have now issued orders to reserve certain percentages for the Scheduled Castes. It has, however, come very late.

What is the educational advancement of Scheduled Castes now, after 17 years of Independence? According to the 1961 census, the percentage of illiterates in the Scheduled Castes is 90.05; that means only 9.95 per cent constitutes the literates among them.

Mr. Chairman: The hon. Member's time is up.

Shri Siddiah: With regard to educational advancement, the Government of Mysore had exempted all Scheduled Castes students from the payment of tuition fees and examination fees. Now, I am told that for the 7th standard, the Government of Mysore has decided to levy the examination fee. If this is allowed to continue and if it is not removed, the progress of Scheduled Castes will be very much hampered.

Mr. Chairman: The hon. Member's time is up.

Shri Siddiah: I shall finish in a minute. I support the resolution moved by my hon. friend. So far there is no thorough socio-economic survey made with regard to these things. When we say untouchability exists, the Government say it does not exist, and when we say that improvement has not been made, they will say improvements have been made and they have spent a lot of money. Therefore, it is very necessary that as in the case of Scheduled Tribes, a high-powered committee should go into this matter and find out whether the amount spent on the Scheduled Castes all these years has been well spent or whether the progress made is really worth and what action they should take for the future development of these people. Therefore, I strongly support the resolution of Shri Balmiki.

श्री कांबले (लातूर) : श्री बाल्मीकी जी ने जो संकल्प सदन के समक्ष पेश किया है, उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

जो संकल्प उन्होंने रखा है, उसकी तो मैं ताईद करता हूं और उसका मैं स्वागत

[श्री कांबले]

करता हूं। लेकिन साथ ही साथ इस बात का मुझे खेद है कि इतने वर्षों के बाद भी यह बात हमें महसूस होने लगी है कि अस्पृश्यता निवारण के लिए इस जाति का समााजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अवस्था पर विचार किया जाए। इसकी जो नौबत आई है, इस पर मुझे खेद है।

इतिहास के पन्नों पर अगर आप दृष्टि डालें तो उस में आपको अस्पृश्यता का वर्णन मिल जाएगा। उस में भी कई उदाहरण इसके आपको मिल सकते हैं। यह शुरू से ही हिन्दू समाज के माथे पर एक कलंक रहा है। इसी को घ्यान में रखते हुए हमारे नेताओं ने आजादी के बाद इस रोग को मिटाने का संकल्प किया था। उसी के आधार पर विधान में भी इसको मिटाने की व्यवस्था की गई और उसके बाद कई कायदे और कानून बनाये गये। आज भी अगर दृष्टि दौड़ा कर आप देहातों की ओर देखें तो आपको स्थिति में कोई विशेष सुधार हुआ हो, ऐसा नजर नहीं आयेगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। देहातों में हरिजनों का सामाजिक जीवन एक समस्या है। आप चाहे आयोग द्वारा कहीं पैसे दीजिये, प्रान्तों द्वारा पैसे दीजिये, जमीन दीजिये, नौकरियां दीजिये लेकिन सामाजिक जीवन उनका अत्यन्त दूभर है। यह एक कठिन समस्या है। देहातों में जो लोग रहते हैं उनके घर बाहर होते हैं। अभी तक ऐसा कोई गांव आपको नहीं मिलेगा जिन्होंने अपनी गलियों में हरिजनों को बसाया हो। आपको ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जो हर साल आग लग कर न जलता हो। वह धूप में जलता है और बरसात में वहां पानी टपकता है, ठंड में उनकी क्या अवस्था होती है, यह भी आप से छिपा हुआ नहीं है। देहातों में पीने के पानी तक की समस्या उनके सामने रहती है, कहां से पानी लाया जाए, यह भी समस्या उनके सामने न [illegible] है। हवा पानी के बारे में बहुत से उपदेश दिये जाते हैं और गांधी जी के उपदेशों का हम प्रचार भी करते हैं लेकिन हालत यह है कि देहातों में पानी पीने के लिए प्राप्त करना भी उनके लिए एक समस्या होती है पुराने कुओं से या सरकारी कुओं से वे पानी नहीं ले सकते हैं, उनके लिए अलग कुएं होने चाहियें। कानून में तो आपने व्यवस्था करदी है कि अलग कुएं नहीं सब के लिए एक ही कुएं हों और कोई कहीं से भी पानी ले सकता है लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। आप कहेंगे कि अगर कोई उनको रोकता है तो उसको दंड दिया जा सकता है। लेकिन अगर वे लड़ाई करते हैं तो उनके लिए वहां रहना कठिन हो जाता है क्योंकि उनको जीवन निर्वाह के लिए उन्हीं लोगों पर निर्भर करना पड़ता है। आर्थिक अवस्था उनकी वहां दूसरे लोगों पर ही अवलम्बित रहती है। आर्थिक अवस्था कमजोर होने के कारण वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। कानून को वे अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। ऐसा करने पर उनके जीवन निर्वाह के साधन बन्द हो जायेंगे।

यह जो अस्पृश्यता का रोग है यह सब से बड़ा रोग है, यह एक कलंक है जो मिटाये मिट नहीं रहा है। यह आर्थिक अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। सामाजिक जीवन में भी अस्पृश्यता एक कलंक है। कहने को तो हम बहुत सी बात कहते हैं लेकिन उन पर अमल कहां तक होता है? हम लोगों को उपदेश भी देते हैं लेकिन उन उपदेशों पर अमल नहीं होता है। हमारे बड़े बड़े नेता इस बात का प्रचार करते हैं कि विदेशों में काले और गोरे का सवाल नहीं होना चाहिये, यह रंग भेद का जब प्रश्न आता है तो इसका हम विरोध करते हैं। अमरीका में नीगरोज का जब सवाल आता है, काले वर्ण और गोरे वर्ण का जब सवाल आता है तो उसका हम विरोध करते हैं और इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए रेजोल्यूशन भी पास करवाते हैं। लेकिन स्वयं इस देश में क्या हो रहा है। एक ही रंग के आदमी, एक ह मजहब के आदमी एक ही जगह रहने वाले आदमी हैं

लेकिन उन में से कुछ आदमी ऐसे हैं जिनको हम आदमी समझने के लिए ही तैयार नहीं हैं। यह कैसा दुर्भाग्य है। यह कैसा विष है कि इतनों सालों के बाद भी मिट नहीं पाया है। बंगाल में राजा राम मोहन राय को जब पता चला कि धर्म के नाम पर स्त्रियों को उनके पति के मरने के बाद जबर्दस्ती जला दिया जाता है तो उन्होंने इसका विरोध किया और इसका नतीजा यह हुआ कि एक कानून बना कि किसी को भी जिन्दा न जलाया जाए। कुछ तो स्वयं जल जाती थीं और कुछ को उनके पति के मरने के पश्चात जबर्दस्ती जलाया जाता था। इसके खिलाफ एक कानून बना था कि किसी को जिन्दा न जलाया जाए। आज जहां तक अस्पृश्यता का सम्बन्ध है, यही समस्या हमारे सामने धर्म के नाम पर, जाति और रीतिरिवाज के नाम पर एक कलंक स्वरूप उपस्थित है। यह एक भूत बन कर खड़ी हुई है। छूआछूत का रोग एक सामाजिक और मानसिक रोग है जो इस देश पर लगा हुआ है। इसको मिटाना हम सब का कर्त्तव्य है, किसी पार्टी या दल विशेष का ही यह कर्त्तव्य नहीं है। इस कलंक को मिटाने के लिए सरकार को अपनी ओर से भी कदम उटाने हैं।

मेरे एक हरिजन भाई ने कहा कि अस्पृश्य कौन है? मैं कहना चाहता हूं कि अस्पृश्य वही हैं जिन के दिमागों में अस्पृश्यता भरी हुई है। ब्राह्मण कौन है। जो ब्रह्मत्व का पंडित है वही ब्राह्मण है विद्वान कौन है वही विद्वान है जो विद्वतापूर्ण बात करता है। इसी तरह से अस्पृश्य वही है जिस के दिमाग में अस्पृश्यता भरी हुई है। यह एक धब्बा है। जो जातियां अस्पृश्यता बरतती हैं वे जातियां नाश के मार्ग पर चलती हैं। अन्य जातियों में अस्पृश्यता नहीं है। जैसे हिन्दूजाति में अस्पृश्यता भरी हुई है वैसे और किसी जाति में नहीं। इस देश में बहुत सी जातियां हैं, मैं उन का नाम नहीं लेना चाहता, कि जिनमें कोई अस्पृश्य नहीं है, केवल हिन्दू जाति ही ऐसी जाति है जिसमें अस्पृश्य हैं। किसी साधु या सन्त ने कभी नहीं कहा है कि किसी आदमी को दूर रखो। हम देखते हैं कि मंदिरों में कुत्ते जा सकते हैं लेकिन उनमें हरिजन नहीं जा सकते। अगर कोई हरिजन जाना पहचाना न हो तो वह जा सकता है, लेकिन जो जान पहचान का है वह नहीं जाने पाता। इस सामाजिक रोग को दूर करने का सरकार को प्रयत्न करना चाहिए

और मेरा विचार है कि इस सब की जड़ है आर्थिक अवस्था। इस समय मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। मैं यह ही कहूंगा कि जो जमीन हरिजनों को दी गयी है उस पर काश्त करने के लिये उनको आर्थिक सुविधा दी जाए। जिस परसेंटेज में उनके लिए नौकरी में जगह रखी गयी है उस परसेंटज में उनको लिया जाए।

हम देखते हैं कि अगर कोई हरिजन लड़का या लड़की मास्टर बन जाते हैं और देहात में जाते हैं तो उनके रहने के लिए घर नहीं मिलता क्योंकि वे अस्पृश्य हैं। शहरों में उनको रहने को घर मुश्किल से मिलता है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकार सड़कें और इमारतें बनाने पर बहुत पैसा खर्च कर रही है लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इन्सान बनाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस सारी समस्या को हल करने पर सरकार को ध्यान देना चाहिए यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

आखिर में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों में केवल उन लोगों को ही प्रोमोशन दिया जाना चाहिए जो कि जाति पांत को न मानते हों। केवल हरिजनों के साथ खाना पीना ही काफी नहीं समझा जाना चाहिए। जो आदमी अपनी जाति छोड़ कर हरिजनों में शादी करे उसको नौकरियों में प्रोमोशन दिया जाये। ऐसा होगा तभी यह भेदभाव दूर होगा, और यह चीज पढ़े लिखे लोगों में भी आ जाएगी।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : मुझे तो अफसोस होता है कि जो लोग हमारे सामने बैठे हैं वे अपने को गांधी जी का भक्त कहते हैं, उनके नाम से वोट लेते हैं लेकिन उनके पदचिन्हों पर चलने को तैयार नहीं हैं। भूतपूर्व प्रधान मंत्री जवाहर लाल जी की बात को ले कर हिन्दी के सम्बन्ध में उनके पदचिन्हों पर चलने को तैयार हैं, लेकिन महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलने को तैयार नहीं हैं।

अच्छा होता कि सेंट्रल हाल में, जहां कि संविधान बना, डा० अम्बेडकर का फोटो लगाया गया होता क्योंकि उन्होंने देश का संविधान बनाया था। लेकिन अफसोस है कि आज तक इस बात का कोई ध्यान नहीं है।

मैं राजस्थान के बारे में दो तीन बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। राजस्थान की आबादी दो करोड़ एक लाख 55 हजार है और उसमें से चालीस लाख से ज्यादा लोग शिडयूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट के हैं। इन पर पांच साल के अन्दर 22 लाख रुपया खर्च किया गया है। आडिट रिपोर्ट को पढ़ने से पता चलता में कि इसमें से 6 लाख तो जेबों में चला गया। और जैसा कि मैंने मंत्रिणी महोदया को बताया किशन गंज और शाहाबाद में जो काम हुआ उसमें 50 हजार यों ही चला गया। जब इस तरह से लोग भ्रष्टाचार कर कर के खा जाएं तो शिड्यूल्ड कास्ट वालों को क्या मिलेगा।

मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि पिछली 23 तारीख को फलोदी, जिला जैसलमेर में तीन बेचारे हरिजनों को मार दिया गया, वहां के पुलिस वालों ने मार दिया और कह दिया कि डाकुओं ने मारा है। उन्हीं लोगों को, जिन्होंने मारा था इसकी जांच का काम दिया गया इसलिए कोई जांच नहीं हो पायी। कारण यह है कि आज उनको शै देने वाले बैठे हैं। वह बारडर का इलाका है, वहां आपकी खास पुलिस बैठी है लेकिन इन लोगों की कोई सुनवायी नहीं होती क्योंकि वहां शै देने वाले बैठे हैं।

जो रुपया हरिजनों को दिया जाता है उसको बीच में ही लोग भाई भतीजों में बांट देते हैं और उनको नहीं मिल पाता। अगर भैंस गाय का चारा खा ले तो गाय को क्या मिलेगा। मैं आपको बताऊं कि हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री मोहन लाल सुखाडिया दस लाख रुपये की जमीन खुद हड़प गए और भाई भतीजों को देकर जब शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का नाम लिया जाता है तो कहा जाता है कि यह जंगलात की जमीन है और उनको हटा दिया जाता है लेकिन नहर के किनारे की जमीन अपने भाई भतीजों को और बड़े पूंजीपतियों को दे दी जाती है इसका कारण यह है कि उनसे उनको 97 लाख रुपया चन्दे का मिल गया और वे चुनाव जीत कर आ गए और अब हरिजनों को कुचल रहे हैं।

16.17 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

राजस्थान में समाज कल्याण विभाग की ओर से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के 22 हजार लड़कों के लिए होस्टल बने हैं। उनकी हालत मैं आपको बताऊं। मैं उधर दौरा करने गया था। आपको ताज्जुब होगा यह जान कर कि आजकल एक एक लड़के को 16 रुपया महीना खाने का मिलता है, जब कि हमारे मिनिस्टर साहब की कुत्ती को नहलाने में 16 रुपए का साबुन लग जाता होगा। आप देखें कि उनको प्रति दिन प्रति विद्यार्थी 5 पैसे नाश्ते के लिए, तीन पैसे नई दाल के लिए और दस पैसे आटे के लिए दिए जाते हैं। एक बार साबुन दी जाती है, और अगर वह नहाने का साबुन मांग ले तो वह साबुन भी आधी रह जाती है। उनको इस तरह रखा जाता है जैसे कि जेलों में कैदियों को रखा जाता है--न उनको कोई छुट्टी मिलती है। उनको जो वरदी दी जाती है वह 6 आने गज की खादी की बनाई जाती है जिससे कि बदन छिल जाए। उनकी खाटों में इतने खटमल भरे हैं कि उन पर पैर तक नहीं रखा जा सकता, मिनिस्टर साहब तो उन पर पैर रखना भी पसन्द न

करेंगे । ऐसी दुर्दशा वहां पर विद्यार्थियों की है । मेरा निवेदन है कि अगर इन लोगों को इस तरह से कुचला जाएगा तो ठीक नहीं होगा ।

इसके लिए केवल सरकार ही दोषी नहीं है । इसमें हमारे कुछ भाइयों की भी जिम्मेदारी है । मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूं कि वे यहां केवल नेता ही बन कर न बैठ जाएं । अगर ऐसी नौबत आवे तो उनको अपने लोगों की भलाई के लिए त्याग पत्र तक देने के लिए तैयार रहना चाहिए । लेकिन यहा तो वोटों के दलाल बैठे हैं । असल में हरिजनों की खराबी इन्हीं के कारण हो रही है । इन को टिकट मिल जाता है कि इसलिए वे चुपचाप बैठे रहते हैं । अगर आज ये सारे लोग मिल कर संगठित हो जाएं और हरिजनों के उत्थान के लिए आवाज उठाएं तो गवर्नमैंट भी झुक सकती है । तो मेरा निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाए ।

मैं आपके सामने एक और उदाहरण रखना चाहता हूं । पाकिस्तान से कुछ मोची लोग इधर आए थे शरणार्थी बन कर । उन्होंने कर्ज ले कर मकान बनाए । वे आधे बने खड़े हैं बगैर पट्टियों के । उन्होंने पट्टियों के लिए पांच हजार रुपये की मांग की थी लेकिन वह रुपया उनको अभी तक नहीं दिया गया, कहा जाता है कि कागजात अभी राजस्थान सेक्रेटेरिएट में पड़े हैं । पट्टियां न मिलने का नतीजा यह होगा कि अब की बरसात में उनके मकान ढह जायेंगे और उनका 17 हजार रुपया बरबाद हो जाएगा । तो मेरा निवेदन है कि आप शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की ओर ध्यान दें इस तरह से इनको न कुचलते रहें । अगर आपने इनका वोट लिया है तो इन के लिए नोट भी देने होंगे ।

श्री बसवन्त (थाना) : माननीय सदस्य ने बहुत से कांग्रस सदस्यों को वोटों का दलाल कहा है, क्या यह ठीक है ?

श्री ओंकार लाल बेरवा : हां, मैं कहता हूं वोटों का दलाल ।

उपाध्यक्ष महोदय : "दलाल" अनपार्लियामैंटरी नहीं है ।

श्री वीरप्पा (बीदर) : बहुत खुशी की बात है कि हरिजनों और गिरिजनों के विषय में यहां चर्चा हो रही है । हरिजनों की आड़ में मेरे कुछ दोस्तो ने कुछ कांग्रेस के लोंगो को गाली भी दे दी । यह काम उनका नहीं था, लेकिन फायदा तो उठा लिया ।

एक माननीय सदस्य : आदत से लाचार हैं ।

श्री वीरप्पा : आज हरिजनों के उद्धार के बारे में हमारे अनेक दोस्तों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । मैं मंत्राणी महोदया से कहना चाहता हूं कि हरिजनों का जो उत्थान होना चाहिए वह नहीं हो सका है । मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं । हमने कर्ज लेने के लिए बीदर जिले में एक सोसाइटी बनाई है । उसमें लोंगो ने चार चार साल से पैसा भर रखा है लेकिन उनको आज तक घर बनाने के लिए पैसा नहीं मिला ।

मेरे जिले में हरिजनों और गिरिजनों की सोसाईटी है । उनकी कई समस्याएं लेकर हम आते हैं । एक समस्या तो उनकी यह है कि उस सोसाइटी को कर्जा अभी तक नहीं दिया जाता है । चार साल के अन्दर 26 मकानों को दिया गया है । हालत यह वहां पर बनी है कि लोंगो ने अपने घर का सामान, हंडिया और घड़े आदि बेच कर सोसाईटी को पैसे भरे हैं । सोसाईटी ने अपनी मुसीबतों का चिट्ठा बना कर कि उन्हें पैसा आदि नहीं मिल रहा है, हमने उसकी एक पूरी फाइल बना कर बगलौर में डाईरेक्टर के पास भेजी थी जोकि परसों उन्होंने यह कह कर वापिस कर दी है कि पैसा नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें कर्ज के रूप में मांगने पर भी पूरा पैसा नहीं मिलता है । इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि सोसाइटी की तरफ ध्यान दिया जाये ।

[श्री वीरप्पा]

दूसरी बात जो निवेदन करनी थी वह यह है कि जो पड़ती जमीन हरिजनों को देने के लिए क़ानून बना है वह महज़ कागज में क़ानून ही बन कर रह गया है और उसके आगे यह बढ़ा नहीं है । क़ानून क़ानून की जगह रह गया है जमीन जमीन की जगह रहती है । यह पड़ती जमीन हरिजनों को न दी जाकर उसे जंगलात में लिया जा रहा है । मेरा निवेदन है कि उसे जंगलात से खारिज करके इन पड़ती जमीनों को हरिजनों को दिया जाय । पटवारी, पटेल आदि इतर जातियों से पैसा लेकर जमीन देते हैं लेकिन हरिजनों को निर्धन होने की वजह से वह जमीन नहीं मिल पाती हैं। हरिजनों को दी जाने वाली पड़ती जमीने इस तरह से हड़प कर ली जाती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि हरिजनों के वास्ते कोई कोटा रिजर्व कर दिया जाय कि इतनी जमीन उन्हें देनी है और इस तरह से एक उनके लिए एक कोटा फिक्स करके वे जमीनें निर्धन हरिजनों को दी जावें ।

अब मैं यह तो नहीं कह सकता कि हर जगह हरिजनों के साथ न्याय कर्ता जा रहा है और उन्हें अस्पृश्य नहीं समझा जा रहा है लेकिन मैं हुमनाबाद के बारे में कह सकता हूं जहां कि बस्ती के बीच में एक पूरा हरिजन मुहल्ला बसाया है और वे लोग वहां पर रह रहे हैं । जिस जगह मैं रहता हूं वहां बीच में मैं ने हरिजन बस्ती बसाई है और उस जगह में यहां मुझे कोई शिकायत नहीं करनी है । लेकिन गांवों की पंचायतों में जो हरिजन मेम्बर बने है उनको अब तक कुर्सी पर बैठना नसीब नहीं हुआ है यह शिकायत मुझे अवश्य करना है । सरकार इस ओर ध्यान दे । कई जगह से मेरे पास शिकायत आई है कि वहां पर अभी भी अस्पृश्यता बर्ती जा रही है । कागज में और क़ानून की किताब में से अछुतपना अवश्य मिट गया है लेकिन दिमाग से अभी तक नहीं मिट पाया है । लोगो के दिल और दिमागों से अभी तक यह छुआछूत नहीं मिट पाया । सिर्फ कागज पर वह क़ानून के मुताबिक खत्म हो गई है । जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द इस छुआछूत के कलंक को हमें समूल नष्ट करना है । आज यह कह देना कि अस्पृश्यता मिट गई है आसान है लेकिन वास्तव में जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । उसको हर प्रकार से नष्ट कर देना आवश्यक है और हमारा प्रयत्न उसी दिशा में होना चाहिए । मैं अपने सवर्ण भाईयों से कहना चाहूंगा कि कभी एक जमाना था जबकि अछूतों के साथ इसलिए छुआछूत तथा भेदभाव बर्ता जाता था कि वे मांस और मदिरा आदि का सेवन किया करते थे और वह किसी हद तक समझा भी जा सकता था लेकिन आज तो कोई ऐसी बात नहीं है मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मांस और मदिरा का अछूत तो जिनको आप समझते हैं अब कम सेवन करने लगे हैं, उन्होंने इनका त्याग कर दिया है लेकिन सवर्ण हिन्दू बड़ी मात्रा में इनका सेवन करने लगे हैं इसलिए वह बात तो अब रहती नहीं है । आज तो आला जाति के लोग शराब पीते हैं और यही कारण है कि जहां पहले अंडा एक आने का मिला करता था अब चार आने का मिलता है और मुर्गी दो रुपये की मिलती थी वह आज 4 रुपये में मिलती है क्योंकि उनके खाने वालों की तादाद बेहद बढ़ गयी है । इसलिए हमें देश के अंदर से यह छुआछूत की भावना मिटानी है ।

गांवों में जहां कि हरिजनों की दशा बड़ी दयनीय है वहां के सुधार के लिए सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । उन्हें पानी की सुविधा दी जाय और उसके लिए बावलियां खुदवाई जायं आज गांवों में हरिजनों को शुद्ध पीने का पानी नसीब नहीं होता है । हरिजनों को मुर्गी पालने, बकरी पालने और सुअर पालने के लिए जो पैसे दिये जाते हैं वे बहुत कम हैं और उनको अधिक आर्थिक सहायता दी जाय । सरकार को हरिजनों के कष्टों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए । अस्पृश्यता रूपी

कलंक को लोगों के दिल और दिमाग से दूर करने की जरूरत है ।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्री बाल्मीकी जी ने यह प्रस्ताव सदन के सामने रक्खा है। मैं राम हूं और वह बाल्मीकी हैं, इस तरह वह मेरे गुरू लगते हैं। वह जो प्रस्ताव लाये हैं मैं उसका हृदय से स्वागत करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

Mr. Deputy-Speaker: Shrimati Chandrasekhar.

श्री नवल प्रभाकर : उपाध्यक्ष महोदय, आपने वायदा किया था कि मुझे इस पर बोलने के लिए समय देंगे

Mr. Deputy-Speaker: You will have other opportunities also. The General Budget Discussion is coming up.

श्री नवल प्रभाकर : इस पर समय बढ़ा दिया जाय ।

श्रीमती सहोदराबाई राय (दमोह): इस पर महिलाओं को भी बोलने के लिए समय दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने मंत्राणी जी को बुला लिया है ।

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Shrimati Chandrasekhar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am very grateful to the hon. Members..

श्री नवल प्रभाकर : समय बढ़ा दिया जाय कि न बढ़ाया जाय इस पर हाउस की राय ले ली जाय । इस पर समय बढ़ाया जाय ।

Mr. Deputy-Speaker: I have extended the time by half an hour. The maxium time of 2-1|2 hours has been given. We cannot extend the time more.

श्री शिव नारायण (बांसी) : हाउस की इस पर राय ले लीजिये ।

Mr. Deputy-Speaker: I am sorry. You will have other opportunities also. The Demands for Grants of the Ministries of Home Affairs, Community Development, Education, etc. are coming up for discusison. You can speak on them.

श्रीमती सहोदराबाई राय : महिलाओं को तो मौका दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिये ।

श्री प० लाल बारूपाल : यह माना कि समय बढ़ाने की आपकी मर्जी नहीं है लेकिन इस पर आप हाउस की राय क्यों नहीं ले लेते हैं ?

श्री नवल प्रभाकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपा करके इस पर समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री बाल्मीकी : जब सदन की राय है तो इस पर समय आप बढ़ा दीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय बहुत मौके मिलेंगे ।

Shri R. S. Pandey (Guna): There are many Members who have got a desire to speak. Many non-Harijan Members are there who have got a soft corner for these people.

Mr. Deputy-Speaker: There are other resolutions also coming up and they have also to be given a chance to be moved.

Hon. Members will get other opportunities to speak on this subject. Why should they be in a hurry? The Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes comes up for discussion every year. Then, hon. Members can speak on this at the time of the discussion of the Demands of the Home Ministry, Education Ministry, the Ministry of Community Development and so on.

श्री नवल प्रभाकर : सदन की राय समय बढ़ाने के बारे में आप मालूम कर लीजिये । इस तरह से इसे समाप्त करना उचित नहीं

[श्री नवल प्रभाकर]

होगा । क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य जो इस पर बोलना चाहते हैं वे रह जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : और मौके उन्हें मिलेंगे ।

श्री शिव नारायण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोकसभा का समय आज 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय । मैं चाहता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव पर वोट ले लिये जायें ।

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. The hon. Member may please sit down.

श्री बाल्मीकी : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर सदन की राय ले लीजिये ।

श्री शिव नारायण : मैं ने मोशन रखा है कि समय बढ़ाया जाय तो इसे वोट के लिये पेश कर दीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये । मिनिस्टर को बुलाया हुआ है ।

श्री शिव नारायण : आप मेरे प्रस्ताव पर सदन की राय हासिल कीजिये ।

Mr. Deputy-Speaker: I am not putting that motion to vote.

Shrimati Chandrasekhar: I am greatful to hon. Members for making all these observations during the last two hours or so.

श्री शिव नारायण : उपाध्यक्ष महोदय, आखिर यह हो क्या रहा है प्रस्ताव जब पेश कर दिया गया है तो सदन का उस पर मत लिया जाना आवश्यक है ।

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member may please resume his seat.

Shri Sheo Narain: It is our right. We can move such a motion.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

Shrimati Chandrasekhar: I am not going into the question of the various schemes that are being carried out by the Central and the State Governments for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Shri Sheo Narain: This is the position of the Harijans. We do not even get enough time for discussion.

Shrimati Chandrasekhar: Within the short time at my disposal I shall only be going into the question of the merits of the resolution before the house. The hon. Mover of the resolution wants a high-powered commission to go into the question of the progress made by the Scheduled Castes during the last fifteen years. Before deciding whether we should have a commission or not, I would like the House to find out whether there are any provisions existing at present to make evaluations of the progress made in the matter of the welfare of the Scheduled Castes. But before going into that question, I would like to state that there have been a number of committees and other bodies set up to study this question of the welfare of the backward clases and particularly the Scheduled Castes.

The House is well aware that every six months we get a progress report from the State Governments to see the physical targets achieved by the State Governments in the schemes carried out for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In addition to this, even in December last, we had the discussion on the Report of the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The annual report comes up for discussion every year, and there also we got an evaluation of the progress made by the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes.

Besides these, as the House is aware, there is a Central Advisory Board for Harijan Welfare. It is an advisory committee which meets

twice in a year, and Members of Parliament, social workers interested in the work of welfare of the backward classes and particularly the Scheduled Castes are represented on it.

Shri Daljit Singh (Una): But there is no implementation of the decisions taken in that advisory committee.

Shrimati Chandrasekhar: I shall come to that a little later. This advisory board advises Government on assessment of the requirements of the Scheduled Castes and the formulation of the welfare schemes for them, and also reviews from time ot time the working of the sanctioned schemes and apprises the Government of the action taken by the State Governments on the various schemes for the Scheduled Castes.

In addition, we have had conferences of Ministers in charge of Harijan and backward classes held. The first was in 1959, the second in 1960, the third in 1962; there is a proposal to hold a conference shortly in 1965. These conferences take note of the lacunae, how schemes are progressing and suggest ways and means to improve them.

The House is aware of the recommendations of the Estimates Committee that there should be a central coordination committee with representatives of the Planning Commission and the Central Ministries concerned. Accordingly a cordination committee was constituted. They do the coordination work of schemes for the welfare of the backward classes, particularly the scheduled castes.

During the Second Plan period, the working of welfare schemes for backward classes was examined by the Estimates Committee. Their 48th report containing their recommendations was submitted in April 1959. A memorandum showing action taken on the suggestions made by the Committee was laid on the Table in May 1961. Then there was a study team of social welfare and welfare of backward classes, called the Renuka Ray Committee, which also went into the question. Recommendations made by the these various committees have been incorporated in the Third Plan; they will also go into the Fourth Plan now in the making.

Before going into other points, I would like to make it clear that it would be incorrect to say that untouchability is completely wiped out; nor is it correct to say that nothing has been done and untouchability remains to the extent it was prevalent before the passing of the Act of 1955. Something has been done, but something yet is desired. Towards that, the Central Advisory Committee for Harijan Welfare which met last time made a suggestion that there should be an all-India committee appointed to examine the question of untouchability and also the problem of the economic uplift of scheduled castes. This committee has been constituted. It consists of MPs and other members of the Harijan Welfare Advisory Board who are interested in welfare shemes of scheduled castes. Here I would like to allay the misgivings of Shri Gulshan that whenever such committees are constituted, the members chosen are always members of the ruling party and we do not take any other members from other parties. The committee consists of the following members.

Shri C. Das, M.P., Dr. P. L. Majumdar, who is a member of the Board, Shri Achutan, Shri B. K. Gaikwad and Shri Narayan Din, who was a former M.P., and who is now one of the members of the Board. We have Shri Elayaperumal, who will be the Chairman of the Committee. There will also be a nominee of the Law Ministry, who will be a member, who will go into the legal questions and offer all the assistance necessary to the committee. We will also have one of the Assistant Commissioners or somebody from our Ministry who

[Shrimati Chandrasekhar]

will assist the Committee to study these questions thoroughly.

Shri Ganapati Ram: U.P. being the biggest State and having the largest population of Scheduled Castes, no representative from that State has been included. Only a previous M.P. has been included.

Shrimati Chandrasekhar: Whether there is a previous Member or a sitting Member I think would not matter very much. This is a sub-committee of the Central Advisory Board for Harijan Welfare, and Shri Narayan Din is a member from U.P. We wanted to have a compact committee, we did not want to make it unwieldy, and at the same time we have given representation to U.P. through Shri Narayan Din, and he was a Member in the first Parliament.

श्रीमती सहोदराबाई राय : इस कमेटी में कोई महिला मेम्बर क्यों नहीं रखी गई है ?

Shrimati Chandrasekhar: There was also a desire to have another committee to go into the customary rights over scavenging in the same Harijan Advisory Board, and there we have Prof. N. R. Malkani as Chairman, and Shri Samanta, Shri Daljit Singh, Shri Balmiki, Shri Mahavir Das are members, and we have nominated Shri H. K. Chaudhary from the legal side.

These two committees will go round the States, and they are expected to submit their reports as early as possible, and thus we will be able to make an evaluation of the existing position, not that we are not aware of it.

श्री गणपति राम : मेरी मांग है कि इस कमेटी का और विस्तार किया जाये और इसमें और भी शिड्यूल्ड कास्टस के मेम्बरान को रखा जाये, जो इसमें ज्यादा इंट्रस्टिेड हैं ।

Shrimati Chandrasekhar: Whenever these committees visit the various States, the Memers are free to meet them and offer their valuable suggestions. So, these who are interested, those who are so enthusiastic, can do it in their States, it is not only by being a member of the committee that one can do it. Even one is not a member of the committee, if one wants one can certainly offer suggestions.

I would like to remind the House of the statement made by the Minister while he was answering the debate on the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. He said he was not very happy with the implementation of these programmes, that he would like to have a supervisory machinery in consultation with the State Governments, so that the programmes ment for these communities, namely the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other backward classes, are effectively carried out, as the need now is for implementation. Hon. Members have rightly expressed their views, mainly their dissatisfaction at the amount spent and at the amount allotted, how it is not properly done etc. To go into all these questions, we are now concentrating our attention on the implementation machinery. As I said, we are going to have a conference of the State Ministers in charge of backward classes, and there we will have it finalised. Already a supervisory machinery is under consideration. With these words I would like to request the hon. Mmeber, Shri Balmiki, to withdraw this resolution.

There is no need for having any more committees to evaluate. We have enough committees on this question of evaluation, and we have now to see how it is implemented, what difficulties there are. We will do it by the implementation machinery we are thinking of.

I conclude by saying that I am grateful to the hon. Members for having given thought to this important problem, and for having given valuable suggestions during this debate.

श्री प० ला० बारूपाल : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं । अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के उत्थान के लिये दस साल का समय पहले ही दिया जा चुका है और अब इसको पांच साल आप और बढ़ाना चाहते हैं । जब सतरह सालों में इनका उत्थान आप नहीं कर सके हैं और इन पांच सालों में क्या आप कर सकेंगे ? इसका जवाब मैं चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : हर साल इसके बारे में रिपोर्ट आती है ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : हमारे लोहिया साहब ने कहा कि औरतें सारी पिछड़ी हुई हैं, सभी बैकवर्ड हैं । उसके बारे में हमारे मंत्री जी की क्या राय है ?

श्री बाल्मीकी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस संकल्प पर करीब चौदह माननीय सदस्य बोले हैं, चौदह माननीय सदस्यों ने बहस में भाग लिया है और अधिकतर ने, मैं तो कहूंगा प्राय: सभी ने मेरे संकल्प की भावना का अनुमोदन किया है । मैं उन सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

जहां तक अस्पृश्यता की समस्या का सम्बन्ध है वह आज भी देश में विकट रूप से विद्यमान है और उसके कारण अनेकों प्रकार के कष्ट हमें सहने पड़ते हैं, अनेकों संकटों का सामना करना पड़ता है । उससे हरिजन समाज का, दलित और दबे हुए समाज का मर्म दुखी है । 'अस्पृश्यता हिन्दू धर्म का अंग नहीं है बल्कि उसमें घुसी हुई एक सड़न है, एक वहम है और उसको दूर करना हर एक हिन्दू का धर्म है, परम कर्तव्य है' राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था । लेकिन गांधी जी के शब्दों का कितना पालन किया जाता है, इसको हमें देखना है । प्रतीत ऐसा होता है कि न तो सरकार गांधी जी के शब्दों पर चल रही है, न जनता चल रही है, न अधिकारी चल रहे हैं और न कोई और चल रहा है । इधर हमारे सभी हरिजन बन्धुओं के मस्तिष्क में एक वेदना है, एक दुख है और वह ऐसा दुख है कि जिसे बहुत अधिक समय तक सहन नहीं किया जा सकता है, कुछ समय तक ही उसको छिपा कर रखा जा सकता है । अगर उसका ठीक ठीक इलाज न सोचा गया सरकार की दृष्टि से जनता की दृष्टि से तो समाज के अन्दर एक ऐसा विस्फोट हो सकता है, बगावत हो सकती है कि जिसको सम्भालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा । उस विस्फोट का कोई दूसरा कारण नहीं होगा, यही एक कारण होगा ।

स्वामी विवेकानन्द जी महाराज ने कहा था :

"Forget not! that the lower classes the ignorant the poor, the illiterate the cobler, the sweepers are thy flesh and blood. thy Brothers."

मैं देखना चाहता हूं कि कितना उनके प्रति भ्रातृत्व की भावना बरती जाती है, कितना बन्धुत्व उनके प्रति दिखाया जाता है । आज देश के अन्दर मनोवृत्ति अजीब ढंग की है । आज देश के अन्दर पूंजीवादी मनोवृति है और यह मनोवृत्ति बढ़ती ही जा रही है । गरीब और हरिजन आदि-साधारण लोगों के सामने एक खतरा इसने उत्पन्न कर लिया है । चाहे केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकारें हों या कोई और हो, देश के अन्दर आज यह खयाल पैदा हो गया है कि जो कुछ भी हरिजनों के लिए किया जा रहा है, जो कुछ भी उनको सुविधायें देने के बारे में किया जा रहा है, वह एक एहसान के तौर पर किया जा रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई एहसान नहीं है । यह एक पश्चाताप है जिस का आप खमियाजा भुगत रहे है ।

मैं उपमंत्री जी का भाषण सुन रहा था । उन्होंने हल्के हल्के कुछ कहा और कुछ नहीं भी कहा । मैं कहना चाहता हूं और बड़े ढंग

[श्री बाल्मीकी]

से कहना चाहता हूं कि सारा देश और हमारी यह सरकार समझ ले कि हरिजनों के मस्तिष्क में, देश के सर्वहारा दलित वर्ग के मस्तिष्क में एक मैंटल फ्रस्ट्रेशन है, एक दिमागी उदासीनता है, एक साइकोलोजिकल केओस है, एक वेदना है जो धीरे धीरे पल रही है। अगर वह उदासीनता इसी तरह से पलती रही तो वह दिन दूर नहीं जब एक बंबंडर पैदा हो जाए और एक आन्दोलन छिड़ जाए अगर आज सरकार इसका इलाज करने के लिए तैयार नहीं है तो वे खुद इसका इलाज कर सकते हैं। मुझे एक शेर याद आता है :

क्यों दामने अहसां का घबरा कर सहारा लूं
जब हाथ पहुंचता है जालिम के गरेबां तक ।

हम पर जुलम किये जाते हैं, हम पर सितम ढाये जाते हैं, हमें छोटा समझा जाता है, हकीर समझा जाता है। जो हमें इसी स्थिति में रखना चाहते हैं वे समझ लें कि एशिया, अफ्रीका और सारी दुनिया की परम्परायें बदल रही हैं, औद्योकीकरण के साथ, समाजवाद के साथ, समाजीकरण के साथ पूंजीवाद की पटरी नहीं बैठ सकती है। पूंजीवादी मनोवृत्ति के सामने हम नहीं झुक सकते हैं। उसका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं।

कमिशन की जो मैंने मांग की है वह केवल सर्वेक्षण की दृष्टि से, केवल मूल्यांकन की दृष्टि से की है ताकि सारी स्थिति हमारे सामने स्पष्ट हो सके। कि कहां तक इस समस्या का हल हुआ है। आपने कहा है कि मंत्रियों के सम्मेलन होते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिन राज्यों के मंत्रियों से आप वार्तालाप करते हैं, उन मंत्रियों के पास कोई ताकत नहीं होती है, आपको मुख्य मंत्रीयों का सम्मेलन बुलाना चाहिये क्योंकि जादू और शक्ति उन्हीं के पास होती है। हरिजन मंत्री या उच्च जातियों के मंत्री भी जो इस काम को करते हैं उनके पास फाइल तक नहीं पहुंचती है उनके पास समय भी नहीं होता है कि वे इस बात को देख सकें, उनके विचार में कोई शक्ति नहीं होती है।

यहां पर हरिजन कल्याण बोर्ड का जिक्र आया है। शैड्यूल्ड कास्ट कमिशनर की रिपोर्ट का और उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों का जिक्र आया है। यह कहा जाता है कि उसकी सिफारिशों पर गम्भीरता से सोच विचार किया जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि इसके बावजूद होता कुछ भी नहीं है। पंचों का कहना सिर माथे पर तो रहता है लेकिन पतनाला वहीं का वहीं रहता है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का जो अब तक रवैया रहा है अगर आगे भी यही रवैया रहा तो उससे कोई भला नहीं होगा। अभी दिमागों के अन्दर वह क्रान्ति है, अगर कहीं आंखों के अन्दर आ गई कहीं वह लाली और जोश आंखों के अन्दर आ गया तो चेहरों के रंग बदल जायेंगे। समाज का नकशा बदल जायेगा। मैं एक ऐसे उदात्त पुरुष के शब्दों में मैं कहना चाहता हूं जो कि फिलहाल जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं कि साधारण आदमी, कमजोर आदमी तभी तक कमजोर हैं जब तक वे कमजोरी महसूस करते हैं। लेकिन जब वे शक्ति बटोर लेते हैं तो उनके पैरों में, उनके हाथों में बेहद ताकत और शक्ति आ जाती है। यह बात बिल्कुल सही है। हकूमत चाहे कोई भी हो उनके मिजाज से बनती है, उनके लिए बनती है, उनके ऊपर नहीं बनती बल्कि उनके नीचे बनती है। आज की बदलती हुई परम्पराओं के अन्दर, लोकतांत्रिक उभरती हुई परम्पराओं के अन्दर उनके हित का विचार होना चाहिये, उनके हित के लिए होना चाहिये, उनके द्वारा होना चाहिये और उनके लिये होना चाहिये। तभी आप इस लोकतंत्र को, इस जनतंत्र को जीवित रख सकते हैं।

आज हरिजनों की समस्या एक देशव्यापी समस्या है, यह राष्ट्रीय समस्या है, राष्ट्र की समस्या है, देश की एकता की दृष्टि से, राष्ट्रीयता की दृष्टि से देश को बचाने की दृष्टि से उस पर गम्भीरता से विचार होना

चाहिये, उस पर गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिये ।

मुझे उपमंत्री जी के उत्तर से उतनी सन्तुष्टी नहीं होती है । आपने कमेटी का वर्णन किया है । वह जाएगी । उस में भी एक प्रभाव हो सकता है । लेकिन उससे बल नहीं मिलता है । शेड्यूल्ड कास्ट कमिशनर की रिपोर्ट मेरे हाथ में है । इस में साफ तौर पर कहा गया है कि इस बात का मूल्यांकन होना चाहिये, इस बात का सर्वेक्षण होना चाहिये और उसके लिए यह जरूरी बात है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बने । मैं नहीं समझता कि भारत सरकार के मस्तिष्क में क्यों ऐसा डर है । सरकार बहुत सी बातों से डरती है, घबराती है, बचना चाहती है । हम तो उसके साथ ही रहना चाहते हैं, उसके साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन आप घबरा कर पीछे चलना चाहते हैं । उससे काम नहीं बनता है । इससे सरकार की कमजोरी जाहिर होती है, निर्बलता जाहिर होती है । शक्ति इसी बात में है कि जो सत्य है, जो हरिजनों पर बीतती है, उसको मान लिया जाए और उसका मुकाबला किया जाए । आज जो देश के अन्दर और कुछ लोगों के मस्तिष्क के अन्दर यह भावना व्याप्त है कि हम बहुत उन्नति कर गये हैं, हमें बड़ी जमीनें मिल गई हैं, बड़े अनुदान मिल गये हैं, नौकरियां मिल गई हैं, रोजगार आदि में जो उन्नति के अवसर मिल गये हैं । उनकी बुद्धि का स्तर बढ़ गया है बच्चों को ऊंचा उठने की शक्ति दे दी गयी है, हम समझते हैं कि यह कुछ लोगों के लिये हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हरिजनों के लिए नहीं है । सर्व हारा वर्ग के दलित बन्धुओं के लिए नहीं है ।

आप ने देखा कि देश के अन्दर रिपबलिकन पार्टी ने एक आन्दोलन चलाया था । यद्यपि हम उस विचार के अन्दर नहीं है, लेकिन यह बात आवश्यक है कि देश के अन्दर जो कुछ भी हरिजनों के लिए डा० अम्बेडकर ने किया और जो कुछ आज बा० जगजीवन राम जी कर रहे हैं उस के पीछे हमारी राय है और हमारी शुभकामना उन के आन्दोलन के एक तरह से पीछे है । सरकार होशियार रहे और होशियारी बरते । एक दूसरा विचार रखते हुए भी मैं ने चाहा कि उसे भी प्रकट कर दूं लेकिन और भी बहुत सी बातों को देखना होता है । आज हम को सारे देश के हरिजनों की बेचैनी दिखाई देती है । अगर आज मंत्री महोदय जवाब देने के लिये होते तो मैं उनसे लड़ता । लेकिन उन्होंने हमारी ही एक देवी को बिठा दिया है हम को लड़वाने के लिए । अब देखना यह है कि ले दे के इस केन्द्र में एक हमारी यह देवी हैं, इसलिये हमको इनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, हम ऐसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी और बेचैनी से देख रहे है, लेकिन मेरे मस्तिष्क में भी एक बचैनी है । मैं चाहता हूं कि हरिजनों के सवाल को सुचारु रूप से, क्रियात्मक ढंग से और मानवीय दृष्टिकोण रख कर हल करने का प्रयास करना चाहिए, जिस से कि संविधान ने जो गारंटी हम को दी है उस की रक्षा हो सके । मैं पूरे मनोबल के साथ कहना चाहता हूं कि इस समस्या का इलाज जल्दी सोचना चाहिए, जल्दी संतुष्टि पैदा करनी चाहिए, नहीं तो वह दिन दूर नहीं कि आप अलग होंगे और हम अलग होंगे । इस को सोचना जरूरी है । आज निर्बल पक्ष के लोगों ने एक निश्चय कर लिया है । अगर वह निश्चय पूरा नहीं हुआ तो यहां सरकार नहीं बैठ सकेगी, सरकारें तभी बैठ सकती हैं जब हम चाहें ।

बात तो हम बहुत बलबले के साथ कहते है क्योंकि बलबला दिमाग में है, लेकिन सब बातों को देखना पड़ता है । तेल देखो, तेल की धार देखो, समय को देखो, समय की गति को देखो, समय की प्रकृति को देखो और समझो ।

[श्री बाल्मीकी]

सरकार और समाज को चाहिए कि बदलते हुए समय के साथ अपने मिजाज को बदले और अपनी मनोवृत्ति को बदले। आज हमारे अन्दर चेतना और शक्ति पैदा हो रही है। अब कोई बात अहसान पर नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को वेदना के साथ वापस लेने की इजाजत चाहता हूं। अन्त में मैं महात्मा गांधी, महर्षि दयानन्द सरस्वती, भगवान बुद्ध और उन सब साधू सन्तों व महात्माओं को जिन्होंने हमारे प्रति समवेदना प्रकट की है, तथा डा० अम्बेडकर और खास तौर से बाबू जगजीवन राम जी के प्रति, जो आज हमारे विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नमस्कार करते हुए यह विचार आप के सामने रखता हूं।

Mr. Deputy-Speaker: I shall put the amendment first.

The question is:

That in the resolution,—

after "development of Scheduled Castes" insert—

"Except one or two such Castes as have been benefited by every kind of facility provided by Government for their political and economic uplift,".(2)

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: Has Shri Balmiki the leave of the House to withdraw his Resolution?

The resolution was, by leave, withdrawn

16.55 hrs.

RESOLUTION *RE*: STRUCTURE OF EDUCATION

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move the Resolution standing in my name:

"This House is of opinion that the pattern and structure of education should be purposefully recast and reorganised with a view to promote greater educational uniformity and the cause of national integration."

and also the amendments standing in my name.

I have come specially from the Nursing Home to move this resolution standing in my name and also the amendment standing in my name, because the state of education weights heavily on our conscience.

Shri N. C. Chatterjee (Burdwan): Sir, Dr. Singhvi was very ill and he is not in a fit state of health to continue with the discussion. Will you kindly allow him to have this motion held over till the next day allotted for Private Members' Resolutions and now allow Shri Prakash Vir Shastri to take up his resolution?

Dr. L. M. Singhvi: If this discussion can be protected and continued on the next day, I have no objection to its postponement now.

Mr. Deputy-Speaker: I have no objection to its postponement, if the House agrees with the suggestion for adjournment of this discussion. But it cannot be put for discussion on the next allotted day. It has to be ballotted.

Shri N. C. Chatterjee: May I point out that under rule 388 you can suspend the operation of any particular rule with the concurrence of the House?

Dr. L. M. Singhvi: If that rule is suspended then there is no difficulty.

Shri N. C. Chatterjee: I can move for the suspension of this rule

Shri Sheo Narain (Bansi): The hon. Member has already moved his motion. Now it will come up for discussion during the next allotted day.